Inspection Report

Submitted in reference to

<u>Hon'ble National Green Tribunal (NGT)</u>
<u>Central Bench, Bhopal</u>
<u>Order dated 30/01/2024.</u>

In the matter of

<u>Original Application No. 13/2024 (CZ)</u>

<u>Netram Golhani & Ors</u>

VS

<u>State of Madhya Pradesh & Ors</u>

<u>Date of Inspection</u>: - 23/02/2024

Inspection Report in O.A. 13/2024 (CZ)

INDEX

S.No.	Particulars		Page No.
1.	Inspection report in the matter of O.A. 13/2024 (CZ)		3-10
2.	copy of the letter received from Head Office	Annexure-1	11
3.	Copy of the letter issued to the concerned stakeholders before site visit	Annexure-2	12
4.	Copy of the Panchnama	Annexure-3	13
5.	Copy of the Najari Naksha, Map and Google Photograph of Nallah	Annexure-4	14-16
6.	proceedings and resolution passed by the nagar parishad Lakhanadon	Annexure-5	17-19
7.	copy of letter of technical and administrative sanction from UADD Bhopal	Annexure-5A	20-21
8.	copy of letter of technical and administrative sanction from the office of Joint director UADD	Annexure-5B	22
9.	copy of letter of checking of structural design of Rotta nala section from polytechnic college	Annexure-5C	23
10.	copy of letter of revised technical sanction from the office of Joint director UADD	Annexure-5D	24-25
11.	copy of the permission letter from T&CP	Annexure-5E	26-27
12.	copy of letter of approval of structural design from the office of Joint director UADD	Annexure-5F	28
13.	Rainfall data obtained from the Land Record Office Seoni	Annexure-6	29
14.	GPS Photographs of Chaupati of site visit	Annexure-7	30-34
15.	Copy of the letter from tehsil office providing relief	Annexure-8	35-37
16.	Copy of the report of expert committee constituted by collector seoni	Annexure-9	38-40
17.	Copy of letter of technical sanction of STP	Annexure-10	41
18.	Copy of the water analysis report	Annexure-11	42
19.	Copy of the court case filed against nagar parishad lakhanadon	Annexure-12	43-49
20.	Copy of the EC imposed on nagar parishad lakhanadon	Annexure-13	50-52

Inspection Report In The Matter Of O.A. 13/2024 (CZ)

Hon'ble National Green Tribunal, Central Bench, Bhopal issued the directions vide order dated 30/01/2024 in the O.A No. 13/2024 (CZ) Netram Golhani & Ors Vs State of Madhya Pradesh & Ors. The background and relevant extract of the order dated 30/01/2024 are furnished below:-

1.In this Original Application, the applicant has raised the plea that the Municipal Council, Lakhnadaun constructed shops (complex) on both sides of Rotta Nallah Bridge in 2007, wherein the Applicant had also purchased the shop. The applicant's grievance is that Respondent no. 2 has constructed a Chopati by putting Beams and Columns over the Rotta Nallah, as a result of which the nallah has become narrow and its flow is affected. Consequently, during the rains in 2023, flooding took place and the sewage water and muck entered the shops causing damage.

2.It is also alleged that since nallah has become narrow therefore dirt is spreading, causing health hazardous and the beems and columns are causing accumulation of the dirt and inspite of the complaint no action has been taken.

3.The Original Application raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms. Hence, we deem it proper to issue notice to the respondents. Let appropriate expeditious steps be taken for service of notice on the Respondents.

4.Meanwhile, we also direct the Member Secretary, Madhya Pradesh State Pollution Control Board to carry out the spot inspection, ascertain the factual position on the spot and submit action taken report at least one week before the next date of hearing.

In compliance with the above directions given by the Hon'ble NGT (CZ) in O.A. 13/2024 dated 30/01/2024, Regional Officer-M.P.P.C.B. Regional Office, Jabalpur (Representative of the Member Secretary, M.P.P.C.B.) visited the site on dated 23/02/2024. A copy of the letter received from Head Office, in this regard is enclosed in (**Annexure-1).**

The MPPCB, functioning as a key agency in environmental affairs, coordinated with relevant stakeholders and issued a letter **(Annexure-2)** dated February 15, 2024, to arrange a visit scheduled for February 23, 2024.

On the date of inspection, the following stakeholders were present at the site: -

i. Dr. Pushpendra Singh, Regional Officer, M.P.P.C.B. Regional office Jabalpur
ii. Shri Gajendra Pandey, CMO, Nagar Parishad, Lakhanadon, District-Seoni
iii. Shri Jaikishan Sharma, Sub Engineer, M.P.P.C.B. Regional Office Jabalpur (M.P.)
iv. Shri Sandeep Markam, Sub Engineer, Nagar Parishad, Lakhanadon, District-Seoni
v. Shri Ranjeet Khapre, Time Keeper, Nagar Parishad, Lakhanadon, District-Seoni
vi. Shri Netram Golhani, Petitioner

The Regional Officer M.P.P.C.B., acting on behalf of the Member Secretary of M.P.P.C.B., submits this report following a field visit conducted on 23/02/2024. The visit addresses concerns raised by the complainant in the petition and involves thorough discussions with all the stakeholders. **(Copy of the Panchnama is enclosed as Annexure-3)**

1. **Description of the site (Rotta Nallah) as mentioned in the petition:-**

   The location referred in the petition is Rotta Nallah, **(Najari Naksha, Map and Google Photograph is enclosed in Annexure-4**) which is a seasonal drain with minimal flow during normal times. It originates near Rani Lake and terminates near Sed River, spanning approximately 18-20 kilometers in total length. The terrain of the area varies, with shallow and wide flow in the upstream direction, transitioning to deeper waters and narrower width downstream. Several stop dams have been constructed along its course. It reaches its full capacity only during the monsoon season.

   The shops near Rotta Nallah in Ward No. 6, Vivekanand Ward, and Ward No. 8, Rani Durgawati Ward, were constructed by the Lakhanadon Municipal Council wherein, the petitioner also acquired three shops, namely Shop No. 9, 14, and 15, within this complex in 2007. The incident occurred during the monsoon season in June 2023.

   The municipal council of Seoni has constructed a Chaupati adjacent to the existing road bridge on the Rotta Nallah.

2. **Chronology of Events took Place:-**In 2006, the municipal council of Lakhandon erected a shop complex near the Rotta Nallah, adjacent to a pre-existing road bridge. The complex comprises a total of 42 shops, with 22 shops arranged in two rows of 11 each on one side, and on the other side, 20 shops arranged in two rows, with 9 shops in one row and 11 in the other. The complainant also purchased three shops, namely Shop No. 9, 14, and 15, within this complex in 2007.

   The municipal council initiated the construction of a Chaupati adjacent to the road bridge and over the Rotta Nalla in 2017, which was finished in 2022. The foundation of the Chaupati comprises 98 columns of varying sizes.

   The proceedings and resolution passed by the nagar parishad Lakhanadon are enclosed in (**Annexure-5).** The copy of letter of technical and administrative sanction from UADD Bhopal dated 11/05/2017 is enclosed in (**Annexure-5A).** The copy of letter of technical and administrative sanction from the office of Joint director UADD is enclosed in **(Annexure-5B).** The copy of letter of checking of structural design of Rotta nala section from polytechnic college dated 27/07/2018 is enclosed a**s (Annexure-5C).** The copy of letter of revised technical sanction from

the office of Joint director UADD dated 03/08/2019 is enclosed in **(Annexure-5D).** The copy of the permission letter from T&CP dated 25/01/2019 is enclosed in **(Annexure-5E).**The copy of letter of approval of structural design from the office of Joint director UADD dated 22/11/2017 is enclosed in **(Anexure-5F).**

Over four days, from June 23 to June 27, 2023, heavy rainfall totaling 443.5 mm occurred **(Rainfall data obtained from the Land Record Office Seoni, is enclosed in Annexure-6)**. This intense rainfall led to significant flooding during the midnight of June 27, 2023.

To investigate the causes of the flood and propose preventive measures to avoid similar situations in the future, a committee was established by the District Collector of Seoni. The committee comprised an Executive Engineer from the Public Works Department (PWD) and an Executive Engineer from the Water Resources Department (WRD). Based on the committee's recommendations, certain sections of the stop dam located upstream of the Chaupati were modified to facilitate water flow.

Additionally, the committee examined the technical specifications of the Chaupati and noted that the foundation included numerous beams and columns, which also played a role in exacerbating the flood to some extent.

The Tehsil Office, Lakhnadon identified individuals affected by the flood and evaluated the extent of damage they suffered. Financial assistance was provided to those affected, including the petitioner, by the administration.

3. Issues raised in Petition & factual observation made during site visit:-

The petition and subsequent judgements have highlighted the following concerns:-

Issues highlighted in the Petition and order dated 30/01/2024 in O.A. 13/2024 (CZ)	
Issues Raised	**Factual Observations against Issues**
1. The applicant has raised the plea that the Municipal Council, Lakhnadaun constructed shops (complex) on both sides of Rotta Nallah Bridge in 2007, wherein the Applicant had also purchased the shop**.**	In 2006, the municipal council of Lakhandon erected a shop complex near the Rotta Nallah, adjacent to a pre-existing road bridge. The complex comprises a total of 42 shops, with 22 shops arranged in two rows of 11 each on one side, and on the other side, 20 shops arranged in two rows, with 9 shops in one row and 11 in the other. The complainant also purchased three shops, namely Shop No. 9, 14, and 15, within this complex in 2007.
2. The applicant's grievance is that Respondent no. 2 has constructed a Chopati by putting Beams and Columns over the Rotta Nallah.	The municipal council initiated the construction of a Chaupati adjacent to the road bridge and over the Rotta Nalla in 2017, which was finished in 2022. The foundation of the Chaupati comprises 98 columns of varying sizes. **(GPS Photographs of Chaupati is enclosed in Annexure-7)**
3. Due to the construction of the chaupati the nallah has become narrow and its flow is affected. Consequently, during the rains in 2023, flooding took place and the sewage water and muck entered the shops causing damage.	The installation of numerous beams and columns may have altered the flow dynamics, particularly during intense flooding events. The expert committee appointed by the Seoni Collector in this regard has commented on the structural specifications and noted the negative impact on flow resulting from the flawed design of the structure**.** During

<table>
<tr><td></td><td>the flood, there is a possibility that some sewage water or debris might have entered the shops.</td></tr>
<tr><td>4. It is also alleged that since nallah has become narrow therefore dirt is spreading; causing health hazards and the beams and columns are causing accumulation of dirt.</td><td>During the inspection, there was no evidence of dirt spreading; however, there is a potential for dirt to spread during the monsoon season due to the intense flow of water and obstacles posed by the foundational structure of Chaupati.</td></tr>
<tr><td>5. The petitioner has alleged that no compensation has been provided to the flood affected people and has requested for the same.</td><td>The tehsil office lakhanadon identified the people affected by flood and assessed the damaged caused to them. Subsequently, the relief was provided to, those affected. Details or which are as follow:- (Annexure-8)
<table>
<tr><th>Name of petitioner</th><th>Name of business</th><th>Amount of relief provided</th></tr>
<tr><td>Parsram Patel</td><td>Kisan Electrical</td><td>12000</td></tr>
<tr><td>Kunj Bihari Barman</td><td>K .K. Tent house</td><td>12000</td></tr>
<tr><td>Manmohan Barman</td><td>Noori Tent House</td><td>12000</td></tr>
<tr><td>Ranjeet Patel</td><td>Satyam Tent</td><td>12000</td></tr>
<tr><td>Aarti Sharma</td><td>Mobile, Stationary</td><td>12000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>Netram Golhani</td><td>Laxmi Electricals</td><td>12000</td></tr>
</table>
In addition to the petitioner, assistance was extended to others, whose shops and houses suffered damage from the severe flood.
</td>
</tr>
</table>

4. <u>Observations</u>:- During the inspection, the following observations were made:-

1. Currently, there is no dispersion of dust or dirt resulting from the hindrance of water flow.
2. The sewage from Nagar Parishad Lakhanadn is currently flowing into the Rota Nalla.
3. The base of Chaupati comprises approximately 98 columns along with lateral and transverse beams, which could lead to hindrance in water flow during the monsoon season.

To investigate the causes of the flood and propose preventive measures to avoid similar situations in the future, a committee was established by the District Collector of Seoni. The committee comprised an Executive Engineer from the Public Works Department (PWD) and an Executive Engineer from the Water Resources Department (WRD). The committee made the following observations **(Annexure 9):-**

1. The occurrence of intense rainfall led to a situation of severe flooding in Ward No. 6, 8, 9, 3, and the upstream area of Rotta Nala.
2. Another contributing factor to the flooding is the presence of stop dams on both the upstream and downstream sides of Rotta Nala, and the gates of these stop dams were not opened.
3. The gates of the stop dam were opened on the 31st of June 2023, leading to reduction in the impact of the flood.
4. Following that, the team established by the district collector on the 25th of August 2023 visited the location, and based on their evaluation and suggestions some portion of the stop dam located just behind the chaupati was dismantled.
5. The committee recommended lining both banks of Rotta Nala and excavating stones across its entire width on the downstream side of the stop dam.

6. The committee also raised questions regarding the technical aspects of the Chaupati, citing concerns about the numerous longitudinal and transverse beams and columns that obstruct the flow of water.

5. **Status of MSW in Nagar Parishad Lakhanadon:-** According to the 2011 census data, the population of Lakhanadon Nagar Parishad is approximately 17302, with around 5231 households. Although some households in the parishad have been provided with sewer connections, the completion of household sewer connections is still pending. Also, presently, there is no sewage treatment plant in Lakhanadon Nagar, Parishad. However, The municipal council has outlined a proposal to establish a sewage treatment plant with a capacity of 2.30 million liters per day (MLD) as part of the city's sanitary action plan. A detailed project report has been finalised and got the technical sanction from state level technical committee. **(Copy of letter of technical sanction is enclosed as Annexure-10)**

   During inspection, it was observed that sewage water from some households situated along the Rotta Nalla is flowing into the nalla. Water samples have been collected from both the upstream and downstream sides of the chaupati for analysis (**water analysis report is enclosed in Annexure-11**).

6. **Action Taken by M.P.P.C.B.:-**

   1. A court case is already sub judice before the district court against Municipal council Lakhanadon, Details of the Court Case are:- **Case no.- 299/2015** dated **04-03-2015**, under **Sections 15 and 17** of **Environmental Protection Act 1986** and **Municipal Solid Waste Rules 4 and 7.** (**Annexure-12**)
   2. An Environmental Compensation (EC) of **Rs. 36 lakhs** has been imposed in adherence to the directive issued by the Honorable National Green Tribunal **(NGT) in O.A. 606/2018. (Annexure-13)**

(Regional officer)

M.P. Pollution Control Board

Regional Office, Jabalpur

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016
Fax No :+91-755-2463742 E-mail : lt_mppcb@rediffmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 518 /विधि/ NGT (CZ) /प्रनिबो/2024 भोपाल,दिनांक 05 FEB 2024

प्रति

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जबलपुर।

क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर (म.प्र.) पिन - 482002
आवक क्र. 242
दिनांक 15/2/24

विषय :- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए 13/2024 (CZ) (नेतराम गोलहानी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 30.01.2024 को पारित निरकृत आदेश के अनुपालन बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एनजीटी भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए 13/2024 (CZ) (नेतराम गोलहानी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 (संलग्न) का अवलोकन करे, पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

"3. The Original Application raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms. Hence, we deem it proper to issue notice to the respondents. Let appropriate expeditious steps be taken for service of notice on the Respondents.
4. Meanwhile, we also direct the Member Secretary, Madhya Pradesh State Pollution Control Board to carry out the spot inspection, ascertain the factual position on the spot and submit action taken report at least one week before the next date of hearing.

List on 18th March, 2024."

अतः माननीय एनजीटी के आदेशानुसार स्थल निरीक्षण कर समय-सीमा में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

डायरेक्टर पर्यावरण (विधि)
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

प्रतिलिपि :-

निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।

C9
15/2

1608|Legal-NGT

क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
स्कीम नं0 5,प्लाट नं.455/456, विजयनगर, जबलपुर–482002
Phone & Fex-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com

क्रमांक–2816/क्षे.का./प्रनिबो/2024 जबलपुर, दिनांक 15/02/2024

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद लखनादौन
जिला–सिवनी

विषय :– माननीय एन.जी.टी में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 13/2024 (सीजेड) (नेतराम गोलहानी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 31/01/2024 को पारित आदेश के अनुपालन बावत।

संदर्भ :– बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक 519 दिनांक 05/02/2024

---00---

उपरोक्त विशयान्तर्गत माननीय एन.जी.टी में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 13/2024 (सीजेड) (नेतराम गोलहानी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 31/01/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में स्थल की जॉच की जाना है। इस सबंध में दिनांक जॉच दिनांक 23/02/2024 को नियत की गई है। कृपया माननीय एनजीटी के आदेश के अनुपालन में जॉच स्थल पर उपस्थित रहने का कष्ट करे।

(डॉ पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जबलपुर (म0प्र0)

पृ–2817/क्षे.का/प्रनिबो/2023, जबलपुर,दिनांक–15/02/2024

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय, सिवनी की ओर माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/01/2024 की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि जॉच स्थल पर एस.डी.एम अथवा तहसीलदार को जांच के समय उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।
2. श्री नेतराम गोहलानी (शिकायतकर्ता) की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि निरीक्षण दिवस स्थल पर उपस्थित रहने का कष्ट करे।

कार्यालय नगर परिषद लखनादौन जिला सिवनी 19/02/2024

कार्यालय कलेक्टर सिवनी (म.प्र.) क्र........ दि........ 19-02-24

(डॉ पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जबलपुर (म0प्र0)

"पंचनामा" **Annexure 3** दिनांक - 23/02/2024
स्थल - रेटानाला - लखनादौन

माननीय एन०जी०टी० में प्रचलित प्रकरण क्र० O.A. 13/2024 (CZ) में पारित आदेश दिनांक 30/01/2024 के अनुपालन में म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक 23/02/2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न व्यक्ति उपस्थित रहे।

1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह - क्षेत्रीय अधिकारी - म.प्र.प्र.नि.बो. - जबलपुर
2. श्री गजेन्द्र पाण्डेय - मुख्य नगर पालिका अधिकारी - नगर परिषद लखनादौन
3. श्री संदीप मरकाम - उपयंत्री - नगर परिषद लखनादौन
4. श्री जयकिशन शर्मा - उपयंत्री - म.प्र.प्र.नि.बो. जबलपुर
5. श्री रंजीत खापरे - स्वच्छता - नगर परिषद लखनादौन
6. श्री नेतराम गोहलानी - शिकायतकर्ता

निरीक्षण के दौरान याचिका में उल्लेखित स्थल, रेटानाला व चौपाटी के चौपाटी स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। चौपाटी के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में रेटानाला में बहते हुए पानी का सैम्पल लिया गया।

नेतराम गोहलानी
लखनादौन (आवेदक)

(गजेन्द्र पाण्डेय)
CMO न० परिषद
लखनादौन

[signature]
पुष्पेन्द्र सिंह
क्षेत्रीय अधिकारी

जयकिशन शर्मा
Jaikishan Sharma
SUB892 | 23/02/2024

संदीप मरकाम उपयंत्री
न० प० लखनादौन

रंजीत खापरे
स्वच्छता
न. परि. लखनादौन

"NAJARI NAKSHA"

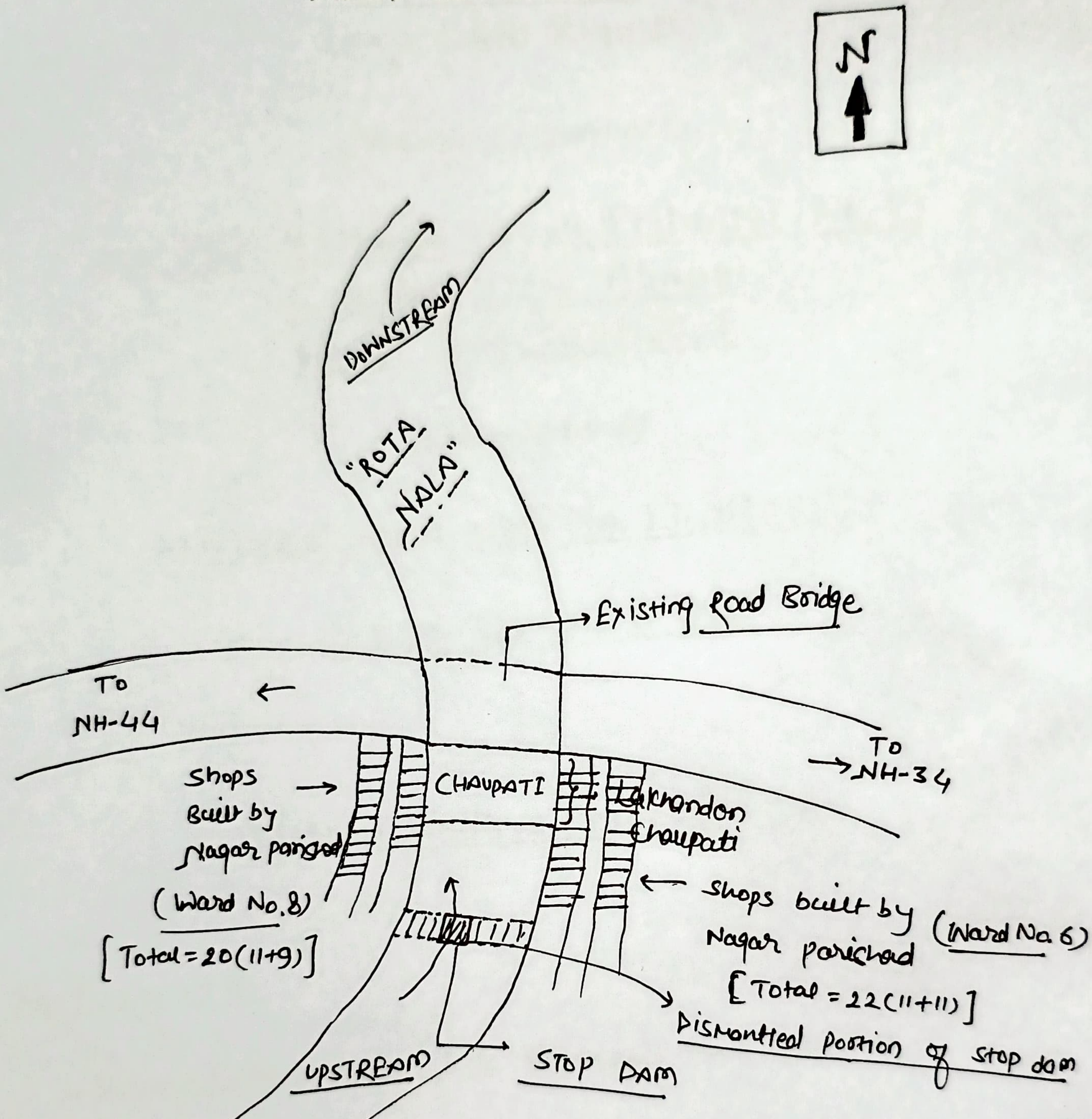

MAP: (NOT to the scale)

LAKHANADON (NP)

TAHSIL LAKANADON

DISTRICT SEONI

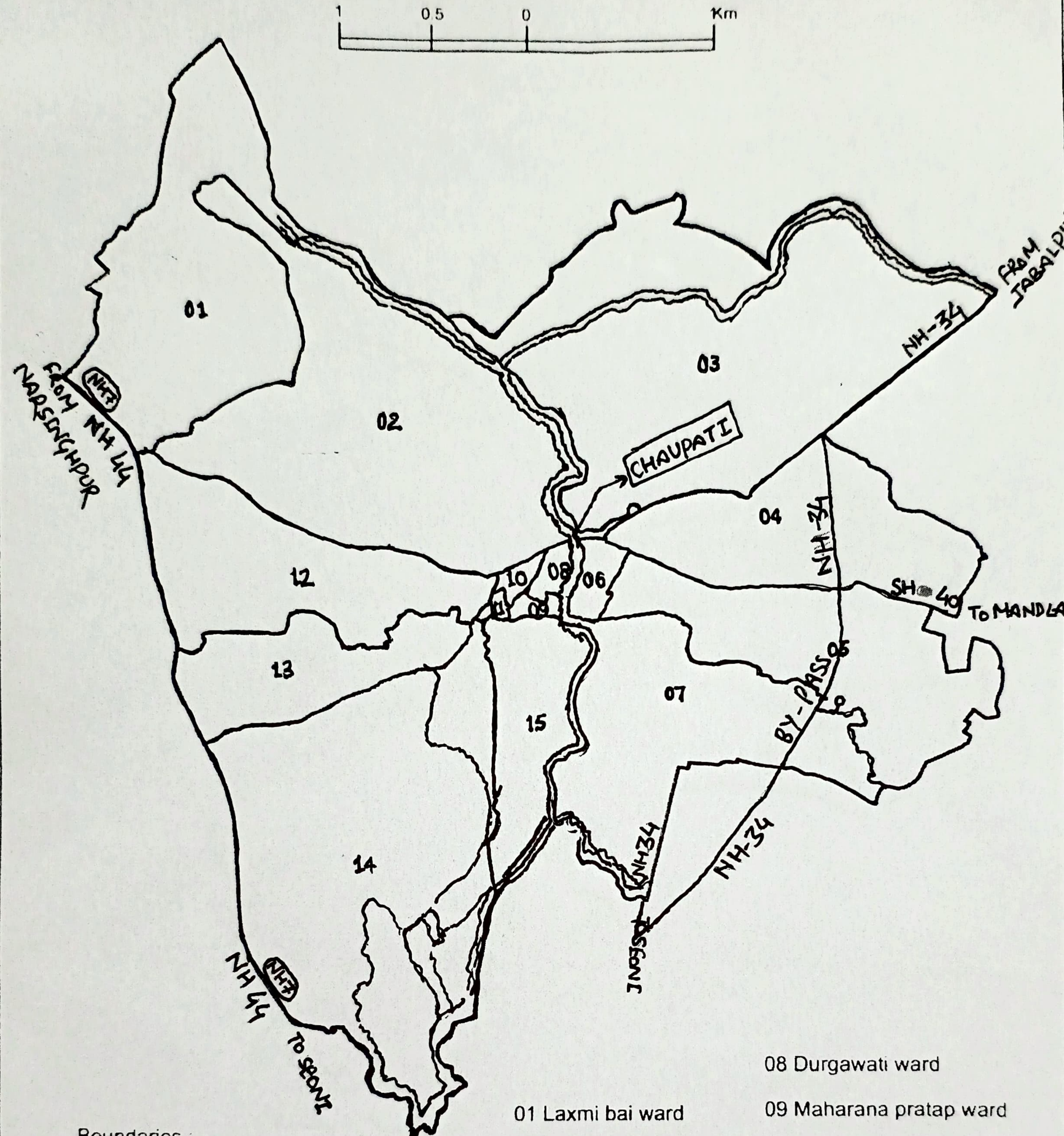

Boundaries :

Town ....

Ward ....

Roads :

NH

SH

Other

Water Body :

Other..........

01 Laxmi bai ward

02 Azad ward

03 Subhash ward

04 Shivaji ward

05 Vinoba bhave ward

06 Vivekanand ward

07 Mahavir ward

08 Durgawati ward

09 Maharana pratap ward

10 Sarojni naydu ward

11 Gandhi ward

12 Bhagat singh ward

13 Shastri ward

14 Jay prakash ward

15 Dr. ambedkar ward

Google Photograph of Rotta Nallah

(10)

प्रस्ताव क्रमांक -259
संचालनालय के पत्र क्रमांक 437
मु.श.अधो.वि.यो./या.प्र./07/-04/
-2017 भोपाल दिनांक 13/01/2017
के संबंध में निर्माण कार्य हेतु
विचार एवं निर्णय।

संकल्प

प्रकरण प्रस्तुत हुआ, अवलोकन किया गया, विस्तृत चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि

1. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (द्वितीय चरण) में निकाय परिषद तत्कालीन कार्य अनुसार नगर विकास सौंदर्यीकरण अंतर्गत में नगर विकास सौंदर्यीकरण अंतर्गत रोड चौड़ीकरण एवं पार्किंग आदि नाला निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

2. शासन द्वारा नगर उदय अभियान के तहत नगर की 15 वार्डों में अभियान चलाया गया है, उसमें 01 से लेकर 15 वार्डों का सर्वे उपरांत निर्माण कार्यों का माननीय पार्षद महोदय द्वारा कार्य चिन्हित किये गये हैं जो प्रत्येक वार्डों में सीमेण्ट कांक्रीट, नाली रोड हेतु राशि 100.00 लाख अतिरिक्त शासन से मांग की जावे।

उपरोक्तानुसार दोनों कार्यों का डी.पी.आर. तैयार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शासन को डी.पी.आर. प्रस्तुत किया जावे।

सर्वसम्मति से स्वीकृत।

Scanned with OKEN Scanner

परिषद का सामान्य सभा बैठक दिनांक [illegible]
का कार्यवाही विवरण

समय : [illegible] बजे
स्थान : [illegible]

1. श्रीमति सुधा राय "अध्यक्ष"
2. श्री किशोर यादव "उपाध्यक्ष"
3. श्रीमति सोनिया झारिया "पार्षद"
4. श्री ललित गोल्हानी "पार्षद"
5. श्री श्रीकान्त गोल्हानी "पार्षद"
6. श्रीमति कल्पना स्थापक "पार्षद"
7. श्री प्रमोद झारिया "पार्षद"
8. श्री आशीष चौरसिया "पार्षद"
9. श्री गेंदलाल रहंगडाले "पार्षद"
10. श्री जिनेश बकोड़े "पार्षद"
11. श्री मुकेश अग्रवाल "एल्डरमैन"
12. श्री प्रेम जैन "एल्डरमैन"
13. श्रीमति रूपवती गोल्हानी "पार्षद"
14. श्री आशीष पाण्डेय "पार्षद"
15. श्रीमति धरमा गोल्हानी "पार्षद"
15. श्रीमति मीना गोल्हानी "पार्षद"
16. श्री इसराईल खान "विधायक प्रतिनिधि"

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर परिषद लखनादौन जिला सिवनी म.प्र.

प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल की बैठक दिनांक 03/07/2017

समय – 12:00 बजे,
स्थान – कार्यालय सभाकक्ष

प्रस्ताव क्र. 01	संकल्प
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना (द्वितीय चरण) योजनांतर्गत प्राप्त निविदा दर स्वीकृति के संबंध में विचार एवं निर्णय।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना (द्वितीय चरण) योजनांतर्गत नगर सौंदर्यीकरण, रोड चौड़ीकरण, कबरिंग ऑफ रोटानाला इत्यादि कार्य कराये जाने ऑनलाईन ई–टेण्डरिंग पद्धति से निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें न्यूनतम राहुल जैन ठेकेदार लखनादौन द्वारा 1.07 प्रतिशत एस.ओ.आर. से कम प्राप्त हुई है जिसे राज्य स्तरीय तकनीकी समिति भोपाल के पत्र कमांक/8376/मु.श.अधो.वि.यो./7–5/2017 भोपाल दिनांक 22/06/2017 द्वारा दर स्वीकृत करने अनुंश्सा की गई है। प्राप्त दर य.ए.डी.डी. आई.एस. एसआर. डब्ल्यू.ई.एफ. 10–05–2012 प्रचलित दरों के अनुरूप होने से स्वीकृत की जाती है। प्रकरण वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन की ओर प्रेषित किया जावे। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार संबंधित ठेकेदार से अनुबंध की कार्यवाही संपादित कर कार्यादेश जारी किया जावें ।

सर्वसम्मति से स्वीकृत ।

सही/–
अध्यक्ष
नगर परिषद लखनादौन

// सत्य प्रतिलिपि //

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद लखनादौन

Annexure 5A

संचालनालय, नगरीय [redacted] न एवं वि म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Ad[redacted]ation & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-4222671, Fax 0755-422...
Email:- aesing@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक / 6624 / मु.श.अधो.वि.यो.–II / यॉं.प्र. / 07–5 / 2017 भोपाल, 11/5/2017

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद, लखनादौन
जिला–सिवनी (म0प्र0)

विषय – मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजनांतर्गत द्वितीय चरण में नगर परिषद लखनादौन के कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ – कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर का पत्र क्रमांक 683 दिनांक 21.04.2017

—0—

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजनांतर्गत द्वितीय चरण में नगर परिषद, लखनादौन, जिला–सिवनी को राशि रू. 110.47 लाख की "म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के लेखा नियम 1971 के नियम 132(1) खण्ड–(दो) 'क' के तहत तकनीकी स्वीकृति एंव नियम 131(3) खण्ड–(दो) के तहत प्रशासकीय स्वीकृति निम्नानुसार कार्यो के लिए प्रदान की जाती है –

क्र.	कार्य का विवरण	लागत राशि (लाख में)
	DEVELOPMENT WORK OF ROTA NALA, ROAD & GHAT STEPS	
A		53.09
1	Rota Nala Work	52.85
2	Widening of Road	4.53
3	Development of Ghat Steps	
	TOTAL	110.47
	(एक करोड़ दस लाख सैतालीस हजार रूपये)	

शर्तें –

1. मध्यप्रदेश नगरपालिका लेखा नियम 1971 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका (मेयर–इन–काउंसिल / प्रेसीडेंट – इन–काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 का पालन सुनिश्चित किया जाए। नियम 5 के तहत वित्तीय स्वीकृति लिया जाना सुनिश्चित करें।
2. निविदा विज्ञप्ति के प्रकाशन / प्रचार प्रसार हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नियमों का पालन कर ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
3. निर्माण कार्य में मध्यप्रदेश वर्क्स डिपार्टमेंन्ट मेनुअल का पालन किया जाए।
4. निर्माण / खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जाए।

(5)

A.S/T.S.

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal-462016
Tel. 0755-4222671, Fax 0755-4222671
Email:- aesinc@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

17. योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुधार हेतु, राज्य शासन द्वारा नियुक्त एजेन्सी को, योजना से संबंधित वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए, निर्माण कार्य के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
18. योजना से संबंधित कार्य की प्रगति का विवरण प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में USMIS पोर्टल पर, सतत् प्रविष्टि की जाना सुनिश्चित करें।
19. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 3974 दिनांक 19.04.2017 द्वारा प्रतिशत दर निविदा प्रपत्र में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार निविदा प्रपत्र में संशोधन कर निविदा की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
20. निर्माण कार्यो के संबंध में समय–समय पर जारी विभागीय दिशा निर्देशों के पालन का उत्तरदायित्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होगा। पालन सुनिश्चित किया जाये।
21. यह आदेश सक्षम स्वीकृति उपरांत जारी किया जा रहा है।

(प्रभाकांत कटारे)
प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म0प्र0 भोपाल

पृ. क्र/ 6625 / मु.श.अधो.वि.यो.–II / यॉ.प्र. / 07–5 / 2017 भोपाल, 11/5/ 2017

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला–सिवनी।
2. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग जबलपुर
3. कार्यपालन यंत्री, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C

प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म0प्र0 भोपाल

A.S/T.S. LET

Annexure 5B

कार्यालय संयुक्त संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग,जबलपुर

(जे0डी0ए0बिल्डिंग,नागपुर रोड, मदनमहल जबलपुर–482001,फोन नं0 0761–2426531, 2429931, ई–मेलः ddjabalpur@mpurban.gov.in / eejabalpur@mpurban.gov.in)

जबलपुर, दिनांक : ....

क्रमांक /   / या.प्र. / 2017

प्रति,

प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र., भोपाल

विषयः– मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत निर्माण कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भः– नगर परिषद लखनादौन का पत्र क्र. 10 दिनांक 20 / 04 / 2017

——000——

नगर परिषद लखनादौन को मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत निर्माण कार्यो की सैद्वांतिक स्वीकृति संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 15204 दिनांक 06 / 12 / 2016 द्वारा राशि रू. 100.00 लाख की प्रदान की गई है।

नगर परिषद द्वारा योजना के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर राशि रू. 110.47 लाख की प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत डी.पी.आर. का परीक्षण किया गया, लगाई गई दरें आई.एस.एस.आर. के अनुरूप पाई गई एवं संचालनालय द्वारा जारी की गई चेकलिस्ट के अनुसार प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। योजना लागत राशि रू. 110.47 लाख की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

संभागीय कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
जबलपुर संभाग जबलपुर

जबलपुर, दिनांक : 21-4-17

पृ. क्रमांक / 684 / या.प्र. / 2017

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद लखनादौन की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

संभागीय कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
जबलपुर संभाग जबलपुर

P-16

Annexure 5C

GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE DINDORI (M.P.)
ENGINEERING CONSULTANCY SERVICES
CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT

An Organization Under Govt. of M.P. Education Deptt. No F/73/21/75/H/XX/Bhopal Dt. 4.10.76/29.10.76

Date : 27/7/18

To,

M/s P.K. Builders
C/7, First Floor, Samdariya Complex,
Main Road, Cherital, Jabalpur (M.P.)

Subject :- Checking of Structure Design of Rota Nala Sections.

Reference :- Your's Letter No. Nil, Dated 23/7/18

The Crust Design of Rota Nala for Nagar Palika Parishad Lakhnadaun Distt. Seoni. Construction Choupati at Rota Nala, was checked as per the general practice of Civil Engineering and found correct, there is no correction required in proposed sections.

H.O.D. Civil Engineering
Govt. Polytechnic College
Dindori (M.P.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय संयुक्त संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग,जबलपुर

(जे0डी0ए0बिल्डिंग,नागपुर रोड, मदनमहल जबलपुर–482001,फोन नं0 0761–2426531, 2429931,ई–मेल ddjabalpur@mpurban.gov.in /eejabalpur@mpurban.gov.in)

क्रमांक/ 3081 /यां0प्र0/तक.स्वी./2019 जबलपुर, दिनांक 3 /8 /2019

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद लखनादौन
जिला – सिवनी

विषय :– पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति बाबत्।
संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 184 दिनांक 29/07/2019

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित निर्माण कार्यो के प्राक्कलनों की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबधो के साथ प्रदान की जाती है :–

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	अनुशंसा राशि
1	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास (द्वितीय चरण) योजना के अंतर्गत रोटा नाला निर्माण कार्य	रू. 59,07,000/–	रू. 59,07,000/–

नोट :– उक्त तकनीकी स्वीकृति निकाय की मांग एवं कार्य स्वीकृति की तत्काल आवश्यक्ता के दृष्टिगत आफलाईन इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त तकनीकी स्वीकृति ऑनलाईन पोर्टल पर 03 दिवस के भीतर अपलोड कर ऑनलाईन तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे। अन्यथा की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित यंत्री स्वतः उत्तरदायी होगे।

1. यह तकनीकी स्वीकृति म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत बनाये गये लेखा नियम 1971 के नियम 132 (3) के खण्ड (1) के अधीन इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तृत प्राक्कलन एवं वर्किंग ड्रांईग का अनुमोदन इस कार्यालय से कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कराए जाए।
2. तकनीकी स्वीकृति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. शासन के प्रचलित आई.एस.एस.आर. प्रभावशील दिनांक 10/05/2012 के आधार पर दी गई है।
3. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के लेखा नियम 1971 के नियम 131 (3) के खण्ड (2) के तहत प्रशासकीय स्वीकृति एवं नियम (5) के तहत वित्तीय स्वीकृति लिया जाना सुनिश्चित करें। कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किया जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0लो0नि0 1961 नियम के प्रावधिक प्रारुप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नही होगा।
4. तकनीकी स्वीकृति यह मानकर अनुमोदित की जा रही है कि, स्थल निकाय स्वामित्व का होकर निर्विवादित है, एवं कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/मद्द से संपादित नही किया गया है। तथ्यों को छुपाकर, निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर तकनीकी स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जावेगी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी /परिषद इस हेतु पूर्णतः जबाबदार रहेगें।
5. कार्य स्थल पर संबधित निर्माण कार्य का बोर्ड अनिवार्य रुप से लगाया जावे, साथ ही कार्य प्रारंभ के पूर्व एवं कार्य समाप्ति पर वीडियोंग्राफी/फोटोग्राफ तैयार कराये जावें।

TS/P/B

77

6. आई.एस.एस.आर. एवं विभागीय स्पेशिफिकेशन, एम.ओ.एस.टी. एवं पी.डब्ल्यू.डी. वर्क्स मेनुअल, आई0एस0 एवं आई0आर0सी0 कोड, सी.पी.एच.ई.ई.ओ. (CPHEEO) मेनुअल के प्रावधानों का पालन करना होगा।

7. अंतिम देयक भुगतान के पूर्व निकाय हित में इस कार्यालय से देयक का परीक्षण कराया जावें। प्रत्येक चलित देयक से 10 प्रतिशत राशि निरीक्षण हेतु रोकी जावें तथा उसका समायोजन अंतिम देयक के साथ किया जावे।

8. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।

9. प्राप्त निविदा/कोटेशन की दरों की तुलना निकाय के क्षेत्र अथवा नजदीकी लोक निर्माण विभाग /गृह निर्माण विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी विभाग/लोक स्वा0 यांत्रिकी विभाग के समान कार्यो की वर्तमान प्रचलित दरों से तुलना की जाकर, निविदा समिति के स्पष्ट अभिमत के साथ पारित प्रस्ताव पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने स्पष्ट मत अंकन कर, नियमानुसार पी.आई.सी./परिषद से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करेगें।

10. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।

11. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रू. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यो के लिये ई–टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।

12. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेवर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

13. दुकान निर्माण/भवन/पानी की टंकी निर्माण कार्यो में अनिवार्य रूप से मृदा परीक्षण कराने उपरांत स्ट्रक्चरल डिजाईन इंजीनियरिंग कालेज अथवा मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कराकर इस कार्यालय से अनुमोदन कराना होगा।

14. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का उपयोग करना होगा। निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी का होगा।

15. निविदा दर स्वीकृति उपरांत ठेकेदार को जिले के श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत आवेदन प्रारूप–05 तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार से उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।

16. उपरोक्त शर्तो की पूर्ति की जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।

संभागीय कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
जबलपुर संभाग जबलपुर

TS/P/B

Annexure 5E

कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट (म.प्र.)

टॉउन हॉल परिसर, टॉउन हॉल छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Phone No. 07162-247755

Email-Id Chhindwara@mptownplan.gov.in

छिन्दवाड़ा दिनांक 25/1/19

क्रमांक 288/नग्रानि/अमि0/2019

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, लखनादौन
जिला– सिवनी (म0प्र0)

विषयः– मौजा–लखनादौन के प0ह0न0 77, खसरा क्रमांक 352/3 का रकबा 0.450 हेक्ट0 में से 4432.0 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजन में भूखण्डीय अभिन्यास के संबंध में अभिमत बाबत्।

संदर्भ– आपका ज्ञापन क्रमांक 268/न0परि0/2019 लखनादौन दिनांक 03.01.2019.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित के साथ संलग्न सत्यापित दस्तावेज एवं आपके द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व संबंधी सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर भूमि स्वामी एवं कालोनाईजर्स श्री संजीव कुमार जैन पिता श्री देवेन्द्र कुमार जैन निवासी लखनादौन तह0 लखनादौन जिला सिवनी द्वारा मौजा–लखनादौन के प0ह0न0 77, खसरा क्रमांक 352/3 का रकबा 0.450 हेक्ट0 में से 4432.0 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजन में भूखण्डीय अभिन्यास मानचित्र यथा–वर्णित विकास कार्यो को कियान्वित किये जाने हेतु अभिमत चाहा गया है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण मौजा–लखनादौन के प0ह0न0 77, खसरा क्रमांक 352/3 का रकबा 0.450 हेक्ट0 में से 4432.0 वर्गमीटर का स्थल निरीक्षण आवेदक एवं कार्यालय के उपयंत्री द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित भूमि के उत्तर में वर्तमान मार्ग, दक्षिण में अन्य की भूमि, पूर्व में अन्य की भूमि एवं पश्चिम दिशा में अन्य की भूमि स्थित है। प्रश्नाधीन स्थल किसी नाले एवं विद्युत लाईन से प्रभावित नहीं होती। विषयांकित भूमि पर म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम–1973 की धारा 13(1) के प्रावधान लागू नहीं है।

उपरोक्त स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर आवासीय अभिन्यास प्रयोजन हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1998 के अंतर्गत कालोनियों का विकास नियम, 2014 के नियम 10 के प्रावधान के अंतर्गत नियोजित स्थल मानचित्र पर म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के मार्गदर्शी सिद्वांतों के अनुसार विकास कार्यो को क्रियान्वित किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्बंधनों एवं शर्तो के अधीन रहते हुये अभिमत प्रदान कर कालोनी के विकास नियम 2014 के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम सक्षम प्राधिकारी तथा स्थानिय संस्था से अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
    1. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959
    2. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम
    3. म0प्र0 विद्युत मंडल सिवनी
    4. संबंधित शासकीय विभाग (शासकीय विभाग से लगी भूमि की विकास की स्थिति में)
    5. उपक्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सिवनी

    अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। यदि किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत कोई अन्य विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपत्ति होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त अनुमोदन से कोई आपत्ति नहीं है।
2. आवेदित भूमि का भू–व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कराना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 संबंधी प्रावधान सुनिश्चित किये जाने के पश्चात संलग्न अभिन्यास अनुसार विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व म0प्र0 नगर पालिका (कॉलोनी का विकास) नियम 2012 में वर्णित प्रावधानों के पालन कराने की जिम्मेदारी सक्षम प्राधिकारी की होगी।
3. नियमानुसार बाह्य विकास लागत राशि/पर्यवेक्षण राशि संबंधित संस्था/विभाग में जमा कराना होगी तथा कालोनी का विकास उनके द्वारा निर्धारित मानको/शर्तो के आधार पर पूर्ण कर विकास पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
4. म0प्र0 नगर पालिका (कालोनियों का विकास) नियम, 2012 में निहित प्रावधानों अनुसार विकसित भूखण्डों का कुल विक्रय योग्य क्षेत्र का 15 प्रतिशत के बराबर विकसित भूखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गो तथा निम्न आय वर्ग के लिये आरक्षित कर निर्धारित आकार के भूखण्ड विकसित कर सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तावित आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गो तथा निम्न आय वर्गो के लिये आरक्षित भू–खण्डों का आकलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा तथा उनका आदेश अंतिम माना जावेगा।

5. आपके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व खसरा अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी जिम्मेदारी आवेदक एवं संबंधित ग्राम पटवारी की होगी। विसंगति या असत्यता पाये जाने पर इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

6 अभिमत अनुसार निर्दिष्ट भूखण्डों का विक्रय के दौरान विकास अनापत्ति का क्रमांक व दिनांक तथा परियोजना का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य होगा।

7 प्रश्नाधीन स्थल पर स्थित जल–स्त्रोत एवं छायादार वृक्ष का संरक्षण करना होगा।

8 अभिमत अनुसार मानचित्र में दर्शित भू–खण्डों को स्वयं के प्रेरणा से उपविभाजन (पृथक्कीकरण) व संविलियन किया जाना मान्य नहीं होगा।

9 कालोनियों में अभिमत अनुसार मानचित्र में दर्शित के अनुरूप छोडे गये खुले स्थानों के विकास में पार्क, बगीचे एवं वृक्षों का समूह, छोटे बच्चों के खेलने के स्थान, उचित प्रकाश पेयजल व्यवस्था, जल–मल निकासी की व्यवस्था सडक एवं भवन निर्माण के साथ ही पूर्ण की जाये इसके बिना विकास पूर्ण नहीं माना जाये। यह सुनिश्चित सक्षम प्राधिकारी द्वारा करना होगा।

10 जल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11 प्रश्नाधीन स्थल पर अभिमत मानचित्रानुसार विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उपक्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जिला छिन्दवाड़ा से आवश्यक होने पर अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

12 प्रस्तावित भवनों में वर्षा/छत के पानी की हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था कर इसका विकास भू–खण्ड स्वामियों द्वारा करना आवश्यक होगा।

13 मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुसार भूखण्डों के लिये वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होगा मार्ग एवं पार्क का विकास कर उसे संबंधित संस्था से निःशुल्क हस्तांतरित करना होगा।

14 विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सार्वजनिक सुविधाऐं जैसे–जल प्रदाय, मल प्रवाह, वर्षा के पानी की निकासी, विद्युत व्यवस्था पुलिया का निर्माण आदि सुविधा अभिन्यास में अंकित कर उसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् ही क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

15 प्रस्तावित विकास क्रियान्वित किये जाने हेतु मानचित्र अनुसार नियमों के अंतर्गत विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् विषयांकित भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व भूमि का सीमांकन के अनुरूप स्थल की सीमा में विकास अनुमति से पूर्व कोई भिन्नता उत्पन्न होती है, तो इस कार्यालय को 60 दिवस की अवधि में संशोधित मानचित्र तैयार कर कार्यालय में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। जिसे पुनः संशोधन अनुसार स्वीकृत कराया जावेगा। उपरोक्त संबंध में अवगत नहीं कराये जाने की दशा में सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदक दोनों का दायित्व होगा तथा कालोनी विकास के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः सीमांकित स्थल मानचित्र पर इस कार्यालय से अभिमत प्राप्त करना होगा।

16 विद्युत लाईन के नीचे किसी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

17 आपके द्वारा प्रस्तुत पटवारी खसरा ट्रेस मानचित्र में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर या प्रस्तुत अभिन्यास मानचित्र में विरोधाभास या विसंगती पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं की एवं अपने वास्तुविद/इंजीनियर दोनों की बराबर की होगी, तथा सिद्व पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

18 संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाए गए मार्गो की निरंतरता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। अतः मार्गो को गेट अथवा बाउण्ड्री वाल से अवरूद्व किया जाना मान्य नहीं होगा।

19 कालोनी का रख–रखाव हेतु **नगर पालिका परिषद, तह0 लखनादौन जिला सिवनी** को हस्तांतरित करने के लिए निर्धारित मापदण्डों का पालन करना होगा। तथा विधिवत सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होगा।

20 इस अभिमत मानचित्र को भू–स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावें एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा उक्त मानचित्र को भू–स्वामित्व के रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं माना जावेगा। तथा इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आवेदित भूमि का व्यपवर्तन व म0प्र0 नगर पालिका कालोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते नियम 1998 के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त नहीं कर लेता।

21 मानचित्र की सत्यापित मानचित्र मय अनापत्ति पत्र आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना होगा। तथा स्थल पर अभिमत मानचित्र में दर्शाये समस्त ब्यौरों से संबंधी जानकारी एक 1.5X1.25 मीटर साईज के लोहे के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।

22 आवेदक को **नगर पालिका परिषद, तह0 लखनादौन** जिला सिवनी एंव अन्य विभागो से प्राप्त समस्त अनुज्ञायों (विकास एवं भवन) प्राप्त करनी होगी तथा अनुज्ञा प्रपत्रों में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

23 प्रस्तावित भूखण्डीय विकास हेतु अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र अनुसार नियमों के अंतर्गत विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् विषयांकित भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का सीमांकन जो कि विधिवत रूप से राजस्व विभाग द्वारा किया गया है ,तदानुसार सीमांकन के अनुरूप स्थल की सीमा में विकास अनुमति से पूर्व कोई भिन्नता उत्पन्न होती है तो इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदक दोनों का दायित्व होगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः सीमांकित मानचित्र इस कार्यालय से स्वीकृत करना होगा।

24 अनुमोदित मानचित्र में विपरीत किये गये विकास कार्य, गलत या असत्य जानकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू–सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में, किसी भी सक्षम न्यायालय में

[redacted]

Annexure 5F

(64)

कार्यालय संयुक्त संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग,जबलपुर

(जे0डी0ए0बिल्डिंग,नागपुर रोड, मदनमहल जबलपुर–482001,फोन नं0 0761–2426531, 2429931,,ई–मेलः ddjabalpur@mpurban.gov.in / eejabalpur@mpurban.gov.in)

क्रमांक / 2017 / या.प्र. / 2017 जबलपुर, दिनांक : 22-11-17

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद लखनादौन
जिला – सिवनी

विषयः– क्रस्ट डिजाईन, मिक्स डिजाईन एवं इस्ट्रक्चरल डिजाईन के अनुमोदन के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्र. 232 दिनांक 22 / 11 / 2017

––––000––––

नगर परिषद लखनादौन को मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 6624 दिनांक 11 / 05 / 2017 द्वारा राशि रू. 110.47 लाख की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत रोटा नाला, रोड बाईडिंग, घाट निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया हैं।

नगर परिषद द्वारा उक्त निर्माण कार्यो की ऑन लाईन निविदा आमंत्रण कर न्यूनतम दर राहुल जैन, लखनादौन की 1.07 प्रतिशत कम से अनुबंध कर कार्य कराया जा रहा है।

नगर परिषद द्वारा योजना में प्रस्तावित पेट्रोल पंप चौराहा से हनुमान मंदिर तक एवं चौपाटी निर्माण कार्य की क्रस्ट डिजाईन, मिक्स डिजाईन एवं इस्ट्रक्चरल डिजाईन शासकीय जबलपुर इंजीनियरिंग कालेज से परीक्षण कराया जाकर इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत ड्राइंग डिजाईन के परीक्षण उपरांत अनुमोदन किया जाता है। ड्राइंग डिजाईन अनुसार कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

संभागीय कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
जबलपुर संभाग जबलपुर

P -16

कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख जिला सिवनी

Annexure 6

जिला सिवनी — दैनिक वर्षा — माह - जून 2023 — राज्य म.प्र. — वर्ष - 2023

केन्द्र	सिवनी		कुरई		बरघाट		केवलारी		छपारा		लखनादौन		धनौरा		घंसौर	
स्त्रवण क्षेत्र	Δ 2047'		Δ 1965'		Δ 2019'		Δ 1885'		Δ 2183'		Δ 2051'		Δ 1932'		Δ 1954'	
अक्षांस रेखा	22°-5'-54"		21°-49'-50"		22°-2'-40"		20°-21'-20"		22°-24'-10"		22°-37'-10"		22°-33'-40"		22°-36'-30"	
देशांस रेखा	79°-33'-20"		79°-30'-10"		79°-43'-30"		79°-57'-10"		79°-32'-20"		79°-36'-20"		79°-49'-30"		79°-57'-20"	
केन्द्र का क्रमांक	1		2		3		4		5		6		7		8	
दिनांक	दै0 वर्षा	प्र0योग	दै0 वर्षा	प्र0योग	दै0 वर्षा	प्र0योग	दै0 वर्षा	प्र0योग	दै0 वर्षा	प्र0योग	दै0 वर्षा	प्र0योग	दै0 वर्षा	प्र0योग	दै0 वर्षा	प्र0योग
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	12.6	12.6	0.0	0.0	11.0	11.0	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.8	13.4	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.4	13.8	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	1.2	15.0	0.0	0.0	3.0	14.0	8.0	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0
15	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	14.0	10.2	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
16	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
17	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
18	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
19	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
20	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
21	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
22	2.0	17.0	0.0	0.0	32.0	46.0	0.0	34.6	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
23	28.0	45.0	2.0	2.0	21.0	67.0	0.0	34.6	5.0	7.0	3.5	3.5	10.2	30.2	0.0	0.0
24	20.6	65.6	10.0	12.0	43.0	110.0	74.0	108.6	39.0	46.0	150.0	153.5	15.0	45.2	95.0	95.0
25	0.0	65.6	0.0	12.0	0.0	110.0	0.0	108.6	0.0	46.0	0.0	153.5	0.0	45.2	0.0	95.0
26	2.2	67.8	15.0	27.0	2.0	112.0	15.0	123.6	15.0	61.0	7.7	161.2	12.0	57.2	44.0	139.0
27	79.8	147.6	20.0	47.0	47.0	159.0	28.2	151.8	93.0	154.0	172.3	333.5	55.2	112.4	54.0	193.0
28	38.8	186.4	16.0	63.0	32.0	191.0	88.2	240.0	81.0	235.0	110.0	443.5	85.0	197.4	93.0	286.0
29	1.0	187.4	6.0	69.0	0.0	191.0	4.0	244.0	6.0	241.0	45.2	488.7	8.0	205.4	2.0	288.0
30	0.0	187.4	10.0	79.0	7.0	198.0	0.0	244.0	3.0	244.0	31.4	520.1	15.2	220.6	43.0	331.0
कुल वर्षा	187.4	187.4	79.0	79.0	198.0	198.0	244.0	244.0	244.0	244.0	520.1	520.1	220.6	220.6	331.0	331.0
कुल वर्षा दिन	5	दिन	6	दिन	8	दिन	8	दिन	7	दिन	7	दिन	8	दिन	5	दिन

माह में हुई वर्षा 2024.1 मि.मी.

माह में हुई वर्षा का औसत 253.0 मि.मी.

माह तक की कुल वर्षा 2024.1 मि.मी.

माह तक की औसत वर्षा 253.0 मि.मी.

माह की अधिकतम वर्षा 68.7 मि.मी.

माह की सामान्य वर्षा 195.0 मि.मी.

प्रविष्टि करने वाले के हस्ताक्षर

अधीक्षक
भू-अभिलेख सिवनी

Annexure 7

GPS Photographs Taken During Inspection

CHAUPATI FROM DOWNSTREAM SIDE

CHAUPATI FROM ROAD BRIDGE

FOUNDATION OF CHAUPATI SHOWING NUMEROUS BEAMS & COLUMNS

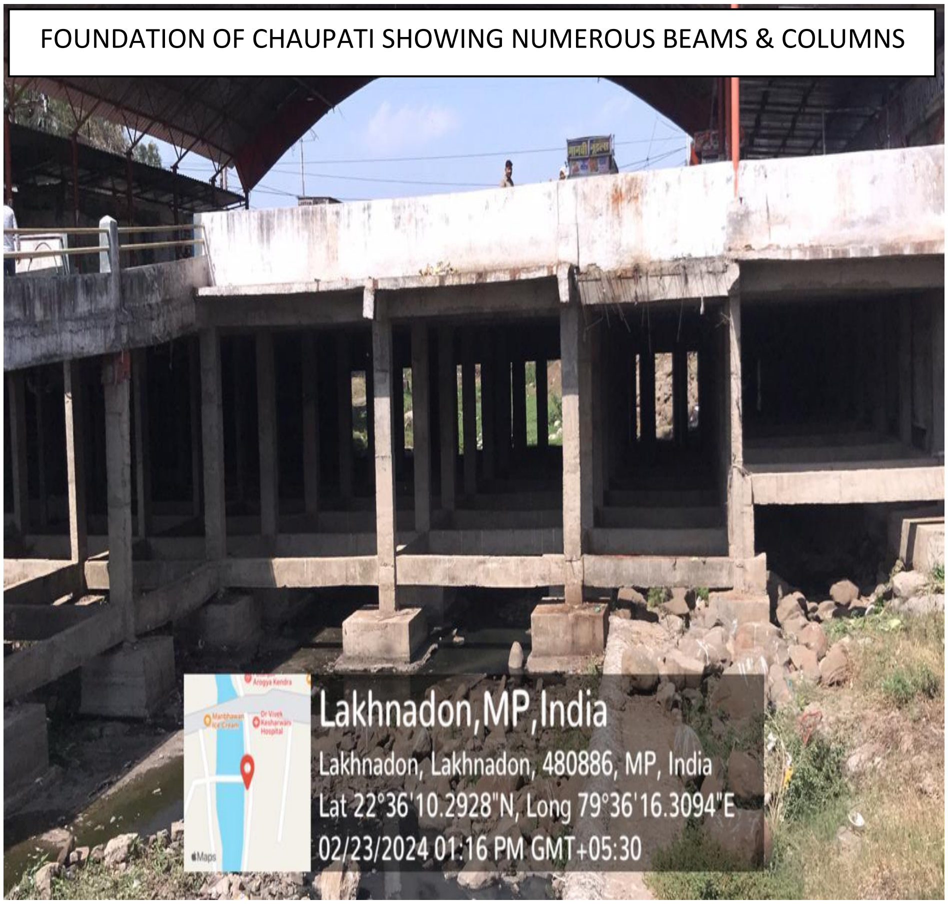

SHOPS CONSTRUCTED NEAR ROTA NALA IN WARD 6

SHOP OF COMPLAINANT

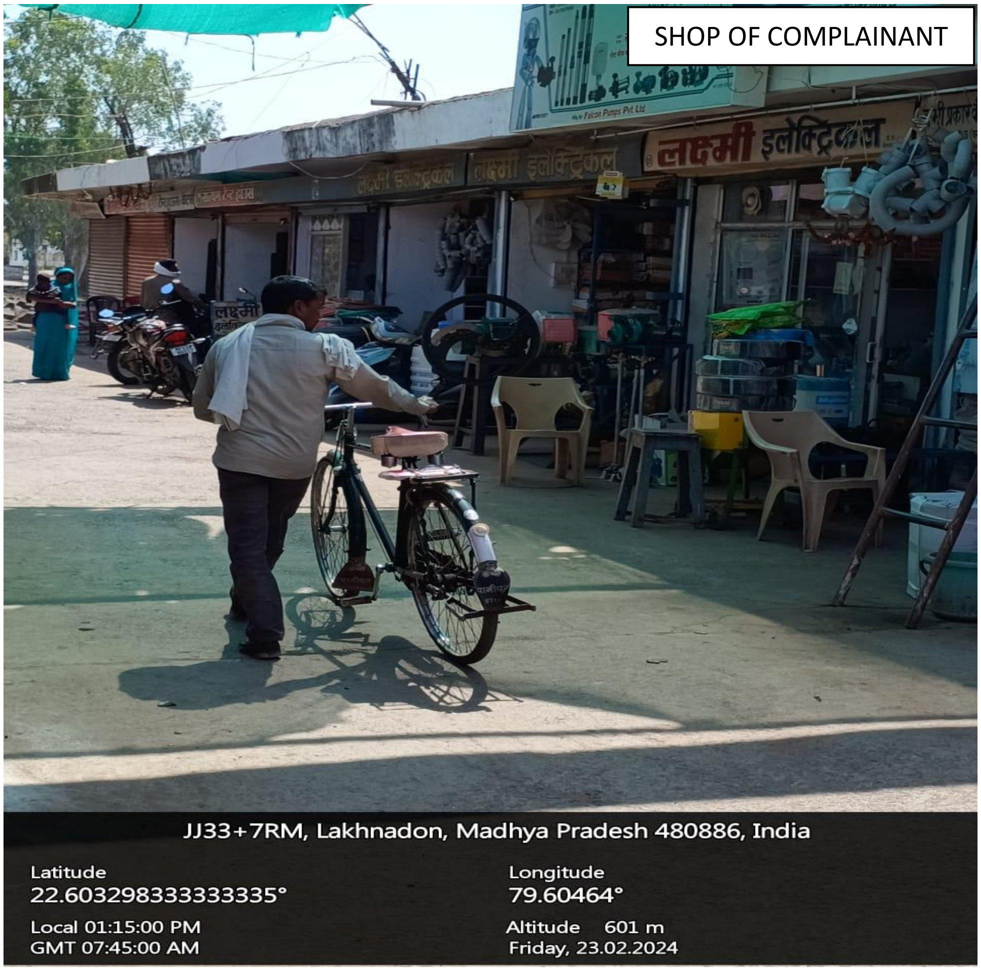

DOWNSTREAM OF NALA

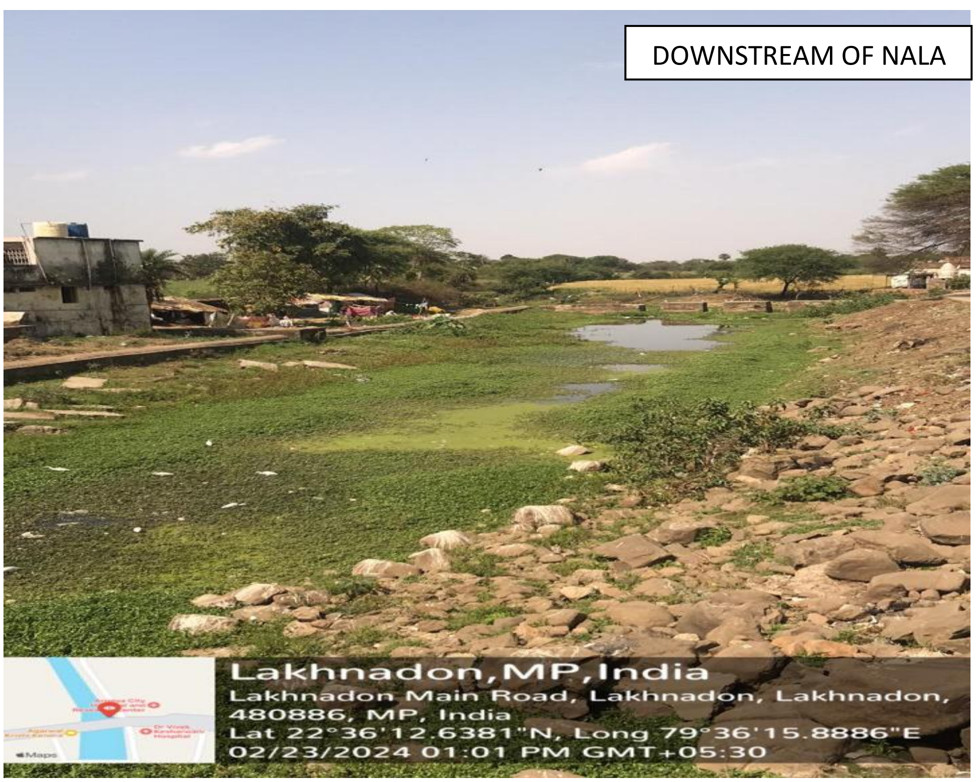

STOP DAM UPSTREAM OF THE CHAUPATI
JJ33+5RV, Lakhnadon, Madhya Pradesh 480886, India
Latitude
22.602906666666666°
Longitude
79.60446666666667°
Local 01:16:45 PM
GMT 07:46:45 AM
Altitude 601 m
Friday, 23.02.2024

WASTE WATER FLOWING INTO NALA
Lakhnadon,MP,India
Lakhnadon Main Road, Lakhnadon, Lakhnadon,
480886, MP, India
Lat 22°36'12.4451"N, Long 79°36'16.1091"E
02/23/2024 01:02 PM GMT+05:30

Annexure 8

ग्राम लखनादौन प०ह०न० 77 रा०नि०म० लखनादौन तहसील लखनादौन जिला सिवनी (म०प्र०)

दिनांक 27/06/2023 की रात्रि को हुई अतिब्रष्टि से नुकसानी विवरण

क्रमांक	नाम	पिता / पति का नाम	जाति	वार्ड नंबर	दुकान / गोदाम का नाम	स्वीकृत राशि	रिमार्क
1	फहीम खान	अजीज खान लतीफ शाह	मुसलमान	6	कोहनूर कलेक्शन कपडा दुकान	12000	रा0पु0प0खण्ड छः क0 4 परिशिष्ट--1 की कंडिका (दस) क0 (1) (क) के तहत 12000 रूपये प्रावधान अनुसार
2	नेतराम	जीवन लाल	तेली	6	लक्ष्मी ईलेक्टीकल	12000	——"——
3	नंदकिसोर	नन्हेलाल चौकसे	कलार	6	चोकसे पैथोलोजी	12000	——"——
4	रंजीत	खेमंसिंह पटैल	लोधी	6	सत्यम टेन्ट साउड	12000	——"——
5	मनमोहन	सुखलाल वर्मन	कहार	6	नूरी टेन्ट हाउस	12000	——"——
6	नजीब	नसीर शाह	मुसलमान	6	शाही टेलर	12000	——"——
7	राजेन्द्र	मोहन पटैल	लोधी	6	महादेव कम्प्यूटर	12000	——"——
8	आरती	अनिल शर्मा	ब्राम्हण	6	मॉ भवानी मोबाईल जनरल स्टोर	12000	——"——
9	कुंजी	कमल वर्मन	कहार	6	के के टेन्ट हाउस	12000	——"——
10	सुरेन्द्र	परसराम	लोधी	6	पटैल मोटर बाइडिंग्	12000	——"——
11	परसराम	रेवाराम	लोधी	6	किसान इलेक्टीकल	12000	——"——
12	बीडी तिवारी (शरद)	छोटेलाल बी.डी. तिवारी	ब्राम्हण	6	मॉ सरस्वती संस्थान	12000	——"——
13	प्रहलाद	छोटेलाल	तेली	6	साहू स्टेशनरी	12000	——"——
14	विनीत	कोमलचंद	बनिया	6	समहदी कलेक्शन	12000	——"——
15	प्रमोद	डालचंद पटैल	लोधी	6	पटैल कम्प्यूटर	12000	——"——
16	मुरारी, आशा	बजारी, मुरारी	चौरसिया	6	चौरसिया स्टोर	12000	——"——

तहसीलदार
लखनादौन जि. सिवनी

17	रानी गुजर	नरेन्द्र	गुजर	6	योगेश वर्मन भंडार	12000	-----''-----
18	राधा	देवीसिंह	लोधी	6	करन कार्तिक किराना	12000	-----''-----
19	हीरा	रामकुमार	लोधी	6	हीरा फुटवेयर	12000	-----''-----
20	सुनील परते	ताराचंद	गोंड	6	सूरज डेयरी	12000	-----''-----
21	राजेश	धनीराम	तेली	6	गोदाम	12000	-----''-----
22	खुब्बी	गनपत	अहीर	6	गोदाम	12000	-----''-----
23	अभिषेक	एस सी जैन	बनिया	6	अहुजा रोड लाइन	12000	-----''-----
24	ब्रजेश	रमेश	बनिया	6	महिमा जनरल स्टोर	12000	-----''-----
25	प्रभात दुबे	तुलाराम	ब्राम्हण	6	बालाजी मोबाईल स्टोर	12000	-----''-----
26	प्रदीप	पेरमलाल	चमार	2	श्री पेरम बूट एंसेसी एवं गोदाम	12000	-----''-----
27	संकेत	प्रहलाद गोल्हानी	तेली	2	श्रीराम टेडिंग	12000	-----''-----
28	लक्ष्मण	जानकीप्रसाद	लाधी	2	ओमशांति कम्प्यूटर	12000	-----''-----
29	विजय	जगदीश	बनिया	2	जगदम्बा टेडर्स एवं गोदाम	12000	-----''-----
30	अस्ववनी	अशोक जैन	बनिया	2	अरिहंत आयरन एवं सीमेन्ट गोदाम	12000	-----''-----
31	प्रकाश	चिरोजी लाल	बनिया	2	बेसमेट गोदाम	12000	-----''-----
32	संजीव	सालिगराम	तेली	2	इन्दौर इलेक्टानिक	12000	-----''-----
33	संजय	संतोष निगम	निगम	2	निगम मेडीकल	12000	-----''-----
34	सुषमा	रामकुमार	लोधी	2	सुषमा सिलाई सेंन्टर एवं रहवासी पक्का मकान	12000	-----''-----
35	ऐश्वर्य जैन	विनीत	बिनया	2	पेर्टन शोप कपडा दुकान	12000	-----''-----
36	प्रदीप	बीएल	तेली	2	सनी फुटवेयर	12000	-----''-----
37	संजय	बाबूलाल	तेली	2	आदिनाथ केक	12000	-----''-----
38	संतोष	नारायण	चौरसिया	2	चौरसिया फनरीचार्स	12000	-----''-----
39	मदन	भोपत	तेली	2	सौर्य किराना एवं जनरल स्टोर	12000	-----''-----
40	पीयूष	प्रदीप	नारद	2	पारस कम्प्यूटर	12000	-----''-----

तहसीलदार
[illegible] जि. सिवनी

41	चंन्द्रकुमार	मेरंसिह	तेली	2	किराना दुकान	12000	-----''-----
42	शेलेन्द्र	महेन्द्र	बनिया	2	मेहेन्द्र एवं देवेन्द्र जैन कपडा दुकान	12000	-----''-----
43	राजेश	बद्रीचंद	बनिया	2	आरके इन्टर्प्राइजिस गोदाम	12000	-----''-----
44	सुरेश	छिद्दीलाल	विश्वकर्मा	2	विश्वकर्मा आटोपार्ट	12000	-----''-----
					Total	**528000**	

तहसीलदार
[illegible]

Annexure 9

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग (भ/स)संभाग क्र–1, सिवनी (म.प्र.)
Web site: www.mp.gov.in/pwdmp , email : eepwd1seoni@mp.nic.in
Phone No. 07692-220572, Fax No. 220618

ज्ञाप.क्रमांक / 5131 / तक / 2023–24 सिवनी दिनांक 04/03/2023

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
सिवनी

विषय :– लखनादौन स्थित रोटाझील के ऊपर बनाये गये चौपाटी का निरीक्षण प्रतिवेदन ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / 5597 / राहत / 2023 सिवनी दिनांक 31.07.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में आपके आदेश के परिपालन में निरीक्षण टीप निम्नानुसार है:–

दिनांक 28.06.2023 को एक माह पूर्व में अधिक वर्षा के कारण ग्राम के वार्ड क्र. 6,8,9,3 एवं अप स्ट्रीम पर बाढ़ आ गई थी, दूसरा कारण यह भी है कि रोटझील के अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में भी स्टापडेम बना हुआ है जिसका गेट नही खोला गया था, दिनांक 31.06. 2023 उक्त स्टाप डेम का गेट खोल दिया गया जिसके खुलने से बाढ़ का प्रकोप कम हो गया है। जिसके कारण जल भराव की स्थिति निर्मित हुई ।

तत्पश्चात आपके द्वारा गठित दल द्वारा दिनांक 25.08.2023 को निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार स्टाप डेम को तोडने बावत निर्णय लिया गया था ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार बाढ़ का प्रकोप की संभावनायें नही होगी साथ ही साथ रोटाझील में दोनो किनारो (वैको) को पक्का किया जावें एवं स्टाप डेम के नीचे वाले भाग में नदी के लेवल के अनुसार पूरी चौडाई में पत्थर की खुदाई करा दी जावें, चौपाटी के निर्माण में तकनीकी का उपयोग नही होने के कारण नदी वेड पर आड़ी एवं खडी बीम बनाई जिनके कारण बाढ़ के पानी में रूकाव आता है एवं पानी के वहाव की गति भी धीमी होने के कारण पानी जमा होता यह पानी क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्रों में जमा होता है ।

पूर्व में हुए चौपाटी के निर्माण में नगर पालिका द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन आप्राप्त है, अधिक वर्षा में हुई क्षति के आधार पर नियमानुसार आवेदको को क्षति पूर्ति दी जा सकती है।

उक्त क्रम में अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री का प्रतिवेदन संलग्न है ।

सहपत्र.–1. संदर्भित पत्रों की छायाप्रति ।
2. उपयंत्री एवं अनु.अधिकारी लो.नि.वि. का प्रतिवेदन

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग सिवनी

o/c

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. (भ/स) सं.क्र. 1 सिवनी

Jala_E:memo-2020_Tech-

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 28.06.2023 को लखनादौन नगर में अतिवृष्टि से हुई क्षति के संबंध में जांच पालन प्रतिवेदन

बिन्दु क्र.	कार्यवाही विवरण	पालन प्रतिवेदन ,
1	2	3
1	यह कि मानसून के शुरूआत के साथ ही दिनांक 28.06.2023 को नगर परिषद लखनादौन के अंतर्गत काफी बारिश हुई जिसमें लखनादौन नगर का एकमात्र नाला रोटाझील जलमग्न हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में काफी पानी का भराव हो गया ।	अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव जैसी स्थिति निर्मित हुई थी जिससे लखनादौन के कुछ क्षेत्रों में जल भराव हुआ था।
2	यह कि रोटाझील में उक्त जल भराव के कारण करीब दो करोड के उपर जनधन की हानि हुई और अनेको मवेशी, बकरियां, एवं एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी मौत हो गई, एवं आसपास के कई कच्चे मकान बह गये एवं लोगो की सम्पूर्ण गृहस्थी नष्ट हो गई, उक्त अतिवर्षा के चलते लोगो अनाज, इलेक्ट्रनिक्स सामान, कपडे इत्यादि पानी में बह गये और अनेक लोगो की गृहस्थी व सम्पतियां नष्ट हो गई ।	जनहानि एवं अन्य नुकसान का आंकलन अन्य एजेंसी या राजस्व विभाग द्वारा पृथक से किया जाना उचित होगा ।
3	यह कि उक्त अतिवर्षा से नगर पालिका परिषद लखनादौन के अंतर्गत आने वाली मुक्तिधाम की बाउंड्रीवाल टूट गई एवं वार्ड नं. 01 में स्थित स्टाप डेम भी अत्याधिक क्षतिग्रस्त हो गया, एवं आजाद वार्ड नं. 02 की रोड एवं पुलिया भी बह गई, जिसके कारण कई घण्टों आवागमन अवरूद्ध रहा एवं उक्त अतिवर्षा एवं जल भराव के कारण नगर परिषद लखनादौन के अनेक वार्डो के लोगो की गृहस्थी नष्ट हो गई । इसके कारन मानव जीवन के उपर भी संकट गहराया था ।	जल भराव के कारण कुछ विषम परिस्थितियां निर्मित तो हुई । इसका विवरण प्रत्यक्ष दर्शियों द्वारा ही बताया जा सकता है ।
4	यह कि महोदय जी उक्त जल भराव का मुख्य कारण नगर परिषद लखनादौन के द्वारा रोटाझील नाले के उपर बनाई गई चौपाटी है, जिसका निर्माण वर्ष 2017–18 में हुआ था, जो कि नियम विरूद्ध तरीके से बनाई गई थी, जिसके जिम्मेदार उस समय के तत्कालीन पदस्थ सी.एम.ओ. एवं तत्कालीन पदस्थ सब इंजिनियर नगर परिषद लखनादौन एवं राहुल जैन चौपाटी निर्माणकर्ता ठेकेदार है , जिनके कारन लोगो का करोडों का नुकसान हुआ, इस कारण इनके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत मामला दर्ज कर इनसे लोगो के हुए नकसान की क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर दिलवाई जायें । उपरोक्त रोटाझील के उपर बनाई गइ नियम विरूद्ध चौपाटी की निम्नलिखित बिन्दुओं में जांच कर तत्काल मामला दर्ज किया जाये ताकि लोगो को न्याय प्राप्त हो सके ।	चौपाटी का निर्माण का प्राक्कलन नगर परिषद लखनादौन से प्राप्त किया जा रहा है । एवं अन्य कागजात संबंधित से आना शेष है । चौपाटी के निर्माण से संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत स्वीकृति ली गई है तब ठीक है अन्यथा की स्थिति नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है ।
अ	यह कि उक्त चौपाटी नाले के उपर बनाई गई है जो कि नियम विरूद्ध है क्यों कि जहां चौपाटी बनाई गई है वह नाले मद की जमीन है और नाले मद की जमीन पर शासन के नियमानुसार कोई भी निर्माण कार्य नही हो सकता ।	यह निर्माण से पूर्व की गई कार्यवाही के संबंध में नगर परिषद लखनादौन के द्वारा बताई जा सकती है ।
ब	यह कि उक्त चौपाटी निर्माण के पूर्व ना ही सेतु विभाग सिवनी और न ही जल संसाधन विभाग लखनादौन और ना ही टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग छिंदवाडा से व अन्य किसी विभाग से एन.ओ.सी. ली गई केवल मनमाने तरीके से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उक्त चौपाटी का निर्माण करवाया गया है ।	चौपाटी के निर्माण के संबंध में भी नगर परिषद द्वारा बताया जाना आवश्यक होगा ।

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु क्र.	कार्यवाही विवरण	पालन प्रतिवेदन
1	2	3
स	यह कि किसी भी नहर नाले आदि पर किसी भी निर्माण कार्य के लिये स्ट्रक्चर इंजिनियर के डिजाईन की आवश्यकता पडती है । क्यों कि वह यह निर्धारण करके बताता है कि कितना लोड आयेगा और निर्माण कार्य किया जाना उचित है या अनुचित है ।	निर्माण कार्य में किन–किन लोगो से मार्ग दर्शन प्राप्त किया गया या किया जाना था के अभिलेख नगर परिषद लखनादौन ही बता सकते है , तत्संबंध में उपरोक्त के द्वारा कोई जानकारी नही दी गई ।
द	यह कि नगर परिषद के द्वारा यदि ऐसा कोई प्रस्ताव निर्माण के लिए पारित किया भी गया था तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी परिषद के ऐसे कोई भी प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नही है, जिससे भविष्य में मानव जीवन पर कोई संकट जाये या भविष्य में किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान हो ।	उक्त नगर परिषद लखनादौन एवं मुख्य नगर पालिका के मध्य का प्रकरण है जिसमें वर्तमान हस्तक्षेप की आवश्यकता पर कोई निष्कर्ष में नही पहुंचा जा सकता ।
इ	यह कि जिस ठेकेदार राहुल जेन के द्वारा उक्त चौपाटी का निर्माण किया गया है, उसमें तत्कालीन नगर परिषद लखनादौन में पदस्थ सब इंजिनियर के द्वारा जो स्ट्रक्चर डिजाईन दी गई थी , उसके विपरीत कार्य किया गया है एवं अतकनीकी तरीके से आडी बीम डाली गई है, जिसके कारण पानी नही निकल पाया और जल भराव हुआ है जिससे मानव जीवन संकट में आ गया है ।	ठेकेदार एवं अन्य के लिये अनुबंध में प्रावधानित कंडिकाओं के आधार पर किया जाना उचित होगा ।
5	यह कि माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि उक्त चौपाटी का निर्माण नियम विरुद्ध तरीके से हुआ है, इसके निर्माण का एकमात्र मुख्य उददेश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना था, जिसके कारण वर्तमान में लोगो का जीवन संकट में आ गया और करोडो का नुकसान हुआ ।	परिषद के एक Autoniomus body होती है, जिसका निर्णय तत्संबंध क्यों लिया गया कहना संभव नही है ।
6	यह कि उक्त जल भराव के कारण प्रेम बूट हाउस का लगभग 15 लाख का नुकसान हुआ है, और विनोद [illegible] का 15 लाख का नुकसान हुआ है, अरविंद जैन का 35 लाख का नुकसान हुआ है, संदीप अग्रवाल का 07 लाख का नुकसान हुआ है । एवं नेतराम गोल्हानी का 20 लाख का नुकसान हुआ है और अनुज गोल्हानी का 15 लाख का नुकसान हुआ है एवं अन्य बहुत से दुकानदार एवं आमजन का करोडों का नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई के जिम्मेदार तत्कालीन पदस्थ नगर पालिका अधिकारी लखनादौन, तत्कालीन पदस्थ सब इंजिनियर नगर परिषद लखनादौन एवं राहुल जैन चौपाटी निर्माणकर्ता ठेकेदार है ।	जल भराव के कारण हुये नकसान की जिम्मेदारी तय करना आयोग की गठन से पश्चात तय होना चाहिये ।

टीप :- उक्त जांच का नगर परिषद के कर्मचारियों की ______________ के समक्ष की गई एंव उपलब्ध कराये गये रिकार्ड अनुसार है, तत्समय स्थल को वास्तविकता की कल्पना मात्र की जा सकती है । स्पष्ट रूप से कोई मत दिया जाना संभव नही है । एवं चौपाटी के Up stream एवं Down stream स्टाप है जिसके कारण पानी की निकासी में भी शिथलता आई साथ ही अत्यधिक बरसात के कारण सभी Adjoining नाला की Full Depth/Width में बह रहे होने कारण जलभराव की स्थिति निर्मित हुई होगी ।

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. (भ/स) संभाग 1 सिवनी

(एस.के. [illegible])
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग-1
सिवनी (म.प्र.)

E:\Harde\Lakhnadon_Choupati Prativedan

स्वच्छ भारत मिशन–2.0 (शहरी) राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की बैठक हेतु एजेण्डा

जा. क्र.-1575 - दिनॉक 24/01/2024
दिनांक- 23/01/2024

एजेण्डा आईटम कमांक–1– उपयोगित जल प्रबंधन :– डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु।

राशि रू. करोड में

स.क्र.	निकाय का नाम	जिला	CSAP-3B Cost	योजना की लागत राशि	आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन समिति से अनुशंसित डी.पी.आर. की लागत राशि :-
1	2	3	4	5	6
1.	सौरार	छिंदवाड़ा	7.65	6.98	6.98
2.	मोहगाव	छिंदवाडा	2.79	4.07	4.07
3.	दगुआ	छिंदवाड़ा	6.93	6.35	6.35
4.	खेतिया	बड़वानी	5.22	4.56	4.56
5.	ठीकरी	बड़वानी	5.16	5.14	5.14
6.	निवाली बुजुर्ग	बड़वानी	3.99	4.01	4.01
7.	पलसूद	बड़वानी	2.87	2.90	2.90
8.	बिस्टान	खरगोन	3.37	3.57	3.57
9.	बारीगढ़	छतरपुर	2.51	2.42	2.42
10.	मनावर	धार	9.36	8.60	8.60
11.	मानपुर	इंदौर	2.30	2.29	2.29
12.	नेपानगर	बुरहानपुर	9.16	8.22	8.22
13.	शाहपुर	बुरहानपुर	4.09	4.45	4.45
14.	बैहर	बालाघाट	4.68	4.69	4.69
15.	बरही	कटनी	3.92	3.84	3.84
16.	न्यूटन चिकली	छिंदवाड़ा	3.57	3.57	3.57
17.	अलीराजपुर	अलीराजपुर	7.96	7.65	6.82
18.	हरपालपुर	छतरपुर	5.21	4.56	4.26
19.	बड़ा मल्हेरा	छतरपुर	5.16	5.89	5.16
20.	नोगाव	छतरपुर	12.23	13.77	12.28
21.	जगाई	छिंदवाड़ा	6.57	6.07	6.07
22.	थंडला	झाबुआ	4.43	4.53	4.49
23.	लखनादोन	सिवनी	4.82	4.50	4.50
24.	सीधी	सीधी	23.73	18.08	15.09
25.	जोबट	अलीराजपुर	3.37	2.58	3.12
26.	पेटलावद	झाबुआ	4.27	4.87	6.42
27.	मेघनगर	झाबुआ	3.62	4.31	3.84
28.	राणापुर	झाबुआ	3.48	3.71	4.31
29.	चकघाट	रीवा	3.00	3.00	3.51
30.	मनगवा	रीवा	3.85	2.92	3.45
31.	करेरा	शिवपुरी	8.07	8.07	8.07
32.	सुवासरा	मंदसौर	3.74	3.73	3.73
33.	ताल	रतलाम	4.19	4.24	4.24

एजेण्डा आईटम कमांक–2

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की अनुमति से अन्य विषय।

(हिमांशु सिंह)
संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल–मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

Fax & Ph. 4042780

REGIONAL OFFICE

M.P. POLLUTION CONTROL BOARD

Plot No. :455,456,,Vijaynagar, Jabalpur (M.P.)

LIQUID SAMPLE ANALYSIS REPORT

Sample from :- Rota Nala at Lakhanadon, Seoni (M.P.)

Sample details :- 1) U/S Nalla Water Near Chopaty 2) D/S Nalla Water Near Chopaty

Date of Collection :- 23/02/2024

Date of Receipt :- 23/02/2024

Date of Analysis :- 23/02/2024

Analysed by :- Mahesh Puraiya (JS)

Analysis No. 183,184/224

Bill No. Dt.

Sample collected by :- Shri J. K. Sharma (Sub Engineer)

Sr.No	Parameters	Unit	Result I	Result II	Result III	Result IV
A – PHYSICAL PARAMETERS						
1.	Temperature	^0C	-	-		
2.	Turbidity	N.T.U.	-	-		
3.	Colour	-	turbid	turbid		
4.	Odour	-	-	-		
5.	Specific Conductivity	µmho/cm	-	-		
B - CHEMICAL PARAMETERS						
6.	pH	-	7.56	7.48		
7.	Total Alkalinity	mg / l	-	-		
8.	Total Hardness (as $CaCO_3$)	mg / l	-	-		
9.	Calcium Hardness (as $CaCO_3$)	mg / l	-	-		
10.	Magnesium Hardness (as $CaCO_3$)	mg / l	-	-		
11.	Chloride	mg / l	126	141		
12.	Total Solids	mg / l	604.0	630.0		
13.	Dissolved Solids	mg / l	488.0	506.0		
14.	Suspended Solids	mg / l	116.0	124.0		
15.	Ammonical Nitrogen (as N)	mg / l	-	-		
16.	Nitrite Nitrogen (as NO_2)	mg / l	-	-		
17.	Nitrate Nitrogen (NH_3)	mg / l	-	-		
18.	Total Kjeldahl Nitrogen (as N)	mg / l	-	-		
19.	Fluoride	mg / l	-	-		
20.	Dissolved Oxygen	mg / l	-	-		
21.	B.O.D. (3 days, 27 ^0C)	mg / l	33.0	36.0		
22.	C.O.D.	mg / l	110.0	160.0		
23.	Oil & Grease	mg / l	-	-		
24.	Phosphate (as P)	mg / l	-	-		
25.	Sulphate (as SO_4)	mg / l	-	-		
C - BIOLOGICAL PARAMETERS						
33.	Total Coliform	MPN/100ml	-	-		
34.	Feacal Coliform	MPN/100ml	-	-		
D - ANY OTHER TEST						
35.	Calcium (as Ca)		-	-		
36.	Magneshium (as Mg)		-	-		

INDICATION : **PARAMETER DOES NOT CONFIRM TO :-**

1. Standard prescribed by M.P.P.C.B.in M.P.Gazette notification, dated 25/03/1988
2. IS: 10500-1991 (Specification for Drinking Water)
3. Standard prescribed in Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules 1988

GENERAL MARKS :- BDL = Below Detectable Limit

NOTE :- No statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B.

Mahesh

Analyst

Lab Incharge

(1)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, सिवनी

परिवाद प्रकरण –

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
द्वारा – श्रीनिवास द्विवेदी
क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
स्कीम नं.5, प्लाट नं. 455/456
विजय नगर, जबलपुर (म0प्र0)

परिवादी

विरूद्ध

1–नगर परिषद लखनादौन
द्वारा–मुख्य नगर पालिका अधिकारी
2–श्री आर. एस. चौधरी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद लखनादौन

अनावेदकगण/अभियुक्तगण

अपराध की धारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17 एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 4 एवं 7

परिवादी निम्नलिखित परिवाद पत्र प्रस्तुत करता है :–

1. यह है कि, परिवादी बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। जिसका मुख्यालय भोपाल होकर क्षेत्रीय कार्यालय प्लाट क्रमांक 455–456 विजय नगर जबलपुर में स्थित है। नगर परिषद लखनादौन क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के नियंत्रण में आता है।

2. यह है कि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 के तहत क्षेत्रीय अधिकारी को सदर परिवाद प्रस्तुत करने एवं संचालन के अधिकार प्राप्त है। अतः परिवादी बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी श्रीनिवास द्विवेदी द्वारा हस्ताक्षर कर परिवाद प्रस्तुत की जा रही है। भारत के राजपत्र दिनांक 16.04.1987 की छायाप्रति संलग्न है जिसके द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया । **(संलग्नक–1)**

क्षेत्रीय अधिकारी
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
...पुर

(2)

3. यह है कि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत मान्नीय न्यायालय के समक्ष सदर परिवाद प्रस्तुत की जा रही है।

4. यह कि सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का पत्र कमांक 514 दिनांक 21/01/2015 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर को क्षेत्र में कार्यरत नगरीय निकायों क प्रमुख एवं कर्ताधरताओं के विरूद्ध नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन बावत् पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायालयीन वाद दायर करने की स्वीकृति प्रदान की है। **(संलग्नक–2)**

5. यह कि आरोपी कमांक–1 नगर परिषद लखनादौन मध्य प्रदेश शासन का एक स्थानीय निकाय है तथा आरोपी कमांक–2, आरोपी कमांक–1 नगर परिषद लखनादौन का मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। आरोपी कमांक–1 नगर परिषद लखनादौन के सभी कार्यकलापों एवं संचालन पर आरोपी कमांक–2 का सीधा नियंत्रण होने से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17 के अन्तर्गत परिवाद पत्र में उल्लेखित अपराध हेतु वह उत्तरदायी है।

6. यह कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ठों के प्रबंधन और हथालन को विनियमित करने के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 बनाये गये है जिसकी धारा 4 में नगर पालिक प्राधिकारी का दायित्व निर्धारित किया गया है जो दायित्व अभियुक्तगणों का निर्वाहन का पालन करना था जिसके लिए अभियुक्तगण समान रूप से उत्तरदायी है। उक्त धारा के अन्तर्गत जो दायित्व दिये गये है जिसका विस्तृत विवरण नियम अनुसूची–2 नियम 6(1) और (3) 7(1) एवं अनुसची 3 नियम 6(1) और (3) 7(2) में उल्लेखित नियमों का एवं अनुपालनीय मानदण्ड एवं विनिर्देश का पालन नहीं किया गया है। राजपत्र की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–3)**

7. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के नियम 4(1) के अनुसार नगर परिषद सीमा के भीतर नियमों को लागू कराने का दायित्व नगर परिषद प्राधिकारियों के है जिसके अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ठ संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं व्ययन के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्क्चर का विकास करना है।

Dwivedi
क्षेत्रीय अधिकारी
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर

8. यह कि नियम के नियम 4(2) के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ठ के प्रसंस्करण एवं डिस्पोजल हेतु स्थापित व्यवस्था स्थापित करने जिसमें लेण्डफिल का निर्माण भी शामिल है के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा बोर्ड को आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

9. यह कि नियम के नियम 4(4)(बी) के अनुसार प्रतिवर्ष 30 जून के भीतर नियम के निर्धारित प्रपत्र प्रारूप–2 वार्षिक प्रतिवेदन जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होगा जिसकी प्रति बोर्ड को प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है।

10. यह कि नियम के नियम 7 में नगरीय ठोस अपशिष्ठों के प्रबंधन हेतु प्रावधान किये गये है जिसके अनुसार नियम 7(1) एवं 7(2) में प्रावधान अनुसार अनुसूची 2, 3 एवं 4 में नगरीय ठोस अपशिष्ठ के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण, व्ययन, भू–भरण स्थलों का स्थल चयन, स्थल पर सुविधाऐं, भू–भरण के लिए विनिर्देश, प्रदूषण निवारण, कम्पोस्टिंग, लीचेट के संग्रहण उपचार, इन्सीनिरेशन के मानक आदि के संबंध में विस्तार से व्यवस्थाऐं दी गई है।

11. यह कि परिवादी बोर्ड द्वारा आरोपी नगर परिषद लखनादौन को नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के अन्तर्गत पत्र कमांक 6318 दिनांक 04.11.2004 द्वारा प्राधिकार जारी किया गया था जो दिनांक 31.01.2005 तक वैध था। इस प्राधिकार के अनुसार नगरीय निकाय को खसरा नं. 477ए 478, प.ह. 34/1, ग्राम–लखनादौन, तहसील –सिवनी, जिला सिवनी पर 1.149 हेक्टेयर क्षेत्र पर अपशिष्ठ के प्रसंस्करण एवं डिस्पोजल हेतु फेसिलिटी स्थापित की जानी थी। प्राधिकार पत्र के साथ संलग्न शर्तो में नियम के प्रावधान अनुसची 2, 3 एवं 4 के के पालन से संबंधित शर्ते दी गई है । बोर्ड द्वारा जारी प्राधिकार पत्र दिनांक 04.11.2004 की मूल प्रति संलग्न है । **(संलग्न–4)**.

12. यह कि आरोपी नगर परिषद लखनादौन द्वारा नियम के अनुसूची 2 एवं 3 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। अनुसूची 2 के प्रावधान अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ठ के संग्रहण हेतु घर–घर कचरा संग्रहण व्यवस्था 15 में से 04 वार्डो में की गई है। शेष 11 वार्डो में अपशिष्ठ के संग्रहण की व्यवस्था नियमानुसार नहीं है। नगरीय ठोस अपशिष्ठ के पृथक्कीकरण की व्यवस्था नहीं है। सेनेटरी लैण्डफिल का निर्माण स्थल पर नहीं किया गया है तथा नगरीय ठोस अपशिष्ठ को खुले में ही डम्प किया जाता है।

Dwivedi
क्षेत्रीय अधिकारी
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर

नियमानुसार प्रोसेसिंग प्रसंस्करण हेतु कम्पोस्टिंग, वर्मीकल्चर आदि की व्यवस्थाऐं स्थापित नहीं की गई है। नगरीय ठोस अपशिष्ठ के प्रबंधन व हथालन के संबंध में फरियादी बोर्ड द्वारा नगर परिषद क्षेत्र एवं ट्रेचिंग ग्राउन्ड का निरीक्षण दिनांक 26.02.2015 को कराया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट पर आरोपी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के भी हस्ताक्षर है। निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन में पायेंगें कि नियम के अनुसूची 2, 3 एवं 4 के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है। निरीक्षण रिपोर्ट की मूल प्रति संलग्न है । **(संलग्नक–5)**

13. यह कि आरोपी नगर परिषद लखनादौन को फरियादी बोर्ड से पत्र क्रमांक 8641 दिनांक 02.02.2009 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत निर्देश दिये गये थे कि नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु एक टाईम बाउन्ड एक्शन प्लान मय प्राधिकार हेतु आवेदन एक माह के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत करें तथा नगरीय अपशिष्ठों के क्वांटीफिकेशन एवं करेक्टराईजेशन का कार्य कर रिपोर्ट एक माह के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत करें । पुनः बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त निर्देश बोर्ड के पत्र क्रमांक 5269 दिनांक 25.01.2014 द्वारा जारी किये गये है परन्तु आरोपी नगर परिषद द्वारा इस संबंध में कोई कार्ययोजना एवं नगरीय अपशिष्ठों के क्वांटीफिकेशन एवं करेक्टराईजेशन का कार्य कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देश का पालन नहीं किया गया है । निर्देश पत्र दिनांक 02.02.2009 एवं 25.01.2014 संलग्न है **(संलग्नक–6 एवं 7)**

14. यह कि आरोपी नगर परिषद लखनादौन द्वारा प्राधिकार नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा वर्तमान में बोर्ड के प्राधिकार बिना नगरीय ठोस अपशिष्ठ का हथालन किया जा रहा है एवं नियम के नियम 4(2)का उल्लंघन किया जा रहा है। प्राधिकार के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. यह कि नगरीय ठोस (अपशिष्ठ प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के अन्तर्गत प्रावधानो का उल्लंघन किया जा रहा है जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17 के तहत दण्डनीय है। अभियुक्तगणों को समय–समय पर सूचना पत्रों द्वारा एवं मौखिक रूप से नियमों के परिपालन हेतु सूचित किया गया हैं। इस प्रकार उपरोक्तानुसार प्रावधानों का उल्लंघन आरोपी नगर परिषद लखनादौन द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है।

Dwivedi

क्षेत्रीय अधिकारी
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर

(5)

16. यह कि परिवादी का उक्त परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र संलग्न है।

17. यह कि परिवादी समस्त दस्तावेज परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा है एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रार्थना

अतएव परिवाद बोर्ड द्वारा माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि, न्यायहित में अभियुक्तगणों को अन्तर्गत धारा अपराध अन्तर्गत 15 एवं 17 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 कार्यवाही की जाकर विधि अनुसार सजा एवं अर्थदंड से दंडित किये जाने की कृपा करें।

Dwivedi

परिवादी अधिवक्ता परिवादी

क्षेत्रीय अधिकारी
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर

सिवनी
दिनांकः–

परिवादी साक्षियों की सूची –

1. श्री श्रीनिवास द्विवेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर
2. डॉ. एस.के. खरे, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर

Dwivedi
परिवादी
क्षेत्रीय अधिकारी
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर

(6)

<u>समक्ष न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, सिवनी</u>

परिवाद प्रकरण –

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
द्वारा – श्रीनिवास द्विवेदी
क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
स्कीम नं.5, प्लाट नं. 455/456
विजय नगर, जबलपुर (म0प्र0)

परिवादी

विरूद्ध

नगर परिषद लखनादौन एवं अन्य अनावेदकगण/अभियुक्तगण

शपथ पत्र

मैं श्रीनिवास द्विवेदी क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, स्कीम नं. 5, प्लाट नं. 455/456 विजय नगर जबलपुर शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि :–

1– यह कि, मैं परिवाद पत्र अन्तर्गत घारा 200 दण्ड प्रकिया सं. अपराध अन्तर्गत 15 एवं 17 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2– यह कि, संलग्न परिवाद पत्र की कंडिका 1 से लगायत 17 तक की कंडिका में उल्लेखित कथन मेरी जानकारी में सत्य है।

3– यह कि सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत है।

सिवनी
दिनांक :

Dwivedi
शपथकर्ता
क्षेत्रीय अधिकारी
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर

<u>सत्यापन</u>

मैं, श्रीनिवास द्विवेदी – शपथकर्ता आज दिनांक को स्थान जबलपुर में हस्ताक्षर कर सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा 1 व 2 में वर्णित समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है।

Dwivedi
सत्यापनकर्ता
क्षेत्रीय अधिकारी
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर

(7)

समक्ष न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिवनी

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड — परिवादी

विरूद्ध

नगर परिषद लखनादौन एवं अन्य — आरोपीगण

दस्तावेज सूची

कमांक	विवरण		संलग्नक कमांक
1.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की घारा 19 के तहत क्षेत्रीय अधिकारी को बोर्ड की ओर से परिवाद प्रस्तुत करने एवं संचालन संबंधी भारत सरकार द्वारा दी गई शक्तियां संबंधी राजपत्र दिनांक 16.04.1987	छाया प्रति	01
2.	सदस्य सचिव म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र कमांक 514 दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रदत्त न्यायालयीन प्रकरण दायर करने की अनुमति	छाया प्रति	02
3.	भारत का राजपत्र असाधारण भाग–II खण्ड 3 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 25.09.2000 नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000	छाया प्रति	03
4.	बोर्ड द्वारा जारी प्राधिकार पत्र दिनांक 04.11.2004	असल	04
5.	नगर परिषद क्षेत्र एवं ट्रेचिंग ग्राउन्ड का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 26.02.2015	असल	05
6.	बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी निर्देश पत्र कमांक 8641 दिनांक 02.02.2009 द्वारा जारी किये गये	असल	06
7.	बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी निर्देश पत्र कमांक 5269 दिनांक 25.01.2014	असल	07

स्थान –सिवनी　　परिवादी अधिवक्ता　　परिवादी

दिनांक–

Dwivedi

श्रीनिवास द्विवेदी
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय अधिकारी
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016
☎ (0755) 2464428, 2466191, e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 2290 /तक/मुप्रनिबो/2023,

भोपाल, दिनांक 01-9-2023

प्रति,

कलेक्टर,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
जिला- समस्त....... (म.प्र.)।

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 606/2018 मे जारी आदेश दिनांक 24.12.2021 एवं 27.12.2021 के अनुसार अधिरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा कराये जाने बाबत्।

संदर्भः- 1. बोर्ड द्वारा नगर निगम आयुक्तों तथा नगर पालिका अधिकारियों को समय-समय पर जारी नोटिस।
2. बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्र. 2043/एम.एस.डब्ल्यू/तक/मुप्रनिबो/2023, भोपाल

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 606/2018 मे जारी आदेश दिनांक 24.12.2021 एवं दिनांक 27.12.2021 के अनुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कराये जाने हेतु संलग्न सूची अनुसार नगर निगम आयुक्तों तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समय-समय पर नोटिस/आदेश प्रेषित किये गये है, परन्तु जिला समस्त (म.प्र.) के क्षेत्रांतर्गत आने वाले स्थानीय निकायों द्वारा वर्तमान तक क्षतिपूर्ति की राशि जमा नही की गई है, जिससे माननीय अधिकरण के आदेश का पालन नहीं किया जा सका है।

उक्त के संबंध में स्थानीय निकायों से निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि 15 दिवस के भीतर बोर्ड के खाता **Member Secretary. MPPCB Environment Protection Fund NGT Account No. 6310001200000043 IFSC Code-PUNB0631000, पंजाब नेशनल बैंक, एप्को शाहपुरा, अरेरा कॉलोनी, भोपाल** में राजस्व के बकाया के रुप में वसूली कर जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध है, अन्यथा माननीय अधिकरण के आदेशों की अव्हेलना की दशा में अधिकारियों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15,16, एवं राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 की धारा 26 सहपठित धारा 30 के तहत् अपराधिक प्रकरण दर्ज किये जावेंगे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(चन्द्रमोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, शिवाजी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की ओर प्रेषित कर लेख है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि 15 दिवस के भीतर जमा करावें।
5. डायरेक्टर (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Hindiletter.Soofi

196.	Jabalpur	Barela	6.00	
197.	Jabalpur	Bhedaghat	36.00	No. 174 dt. 24/12/2021
198.	Jabalpur	Katangi	66.00	No. 174 dt. 24/12/2021
199.	Jabalpur	Majholi	36.00	No. 174 dt. 24/12/2021
200.	Jabalpur	Panagar	126.00	No. 174 dt. 24/12/2021
201.	Jabalpur	Patan	66.00	No. 174 dt. 24/12/2021
202.	Jabalpur	Shahpura	36.00	No. 174 dt. 24/12/2021
203.	Jabalpur	Jabalpur	150.00	No. 174 dt. 24/12/2021
204.	Narsinghpur	Narsinghpur	66.00	No. 174 dt. 24/12/2021
205.	Narsinghpur	Chichali	36.00	No. 174 dt. 24/12/2021
206.	Narsinghpur	Gadarwara	66.00	No. 174 dt. 24/12/2021
207.	Narsinghpur	Gotegaon	66.00	No. 174 dt. 24/12/2021
208.	Narsinghpur	Kareli	96.00	No. 174 dt. 24/12/2021
209.	Narsinghpur	Saikheda	66.00	No. 174 dt. 24/12/2021
210.	Narsinghpur	Salichauka	36.00	No. 174 dt. 24/12/2021
211.	Narsinghpur	Tendukheda	36.00	No. 174 dt. 24/12/2021
212.	Balaghat	Baihar	96.00	No. 174 dt. 24/12/2021
213.	Balaghat	Balaghat	126.00	No. 174 dt. 24/12/2021
214.	Balaghat	Katangi	66.00	No. 174 dt. 24/12/2021
215.	Balaghat	Lanji	96.00	No. 174 dt. 24/12/2021
216.	Balaghat	Malajkhand	96.00	No. 174 dt. 24/12/2021
217.	Balaghat	Warahseoni	66.00	No. 174 dt. 24/12/2021
218.	Mandla	Bamhani	36.00	No. 174 dt. 24/12/2021
219.	Mandla	Bichhiya	36.00	No. 174 dt. 24/12/2021
220.	Mandla	Mandla	96.00	No. 174 dt. 24/12/2021
221.	Mandla	Nainpur	96.00	No. 174 dt. 24/12/2021
222.	Mandla	Niwas	36.00	No. 174 dt. 24/12/2021
223.	Seoni	Barghat	66.00	No. 174 dt. 24/12/2021
224.	Seoni	Lakhnadon	36.00	No. 174 dt. 24/12/2021
225.	Seoni	Seoni	156.00	No. 174 dt. 24/12/2021
226.	Katni	Barhi	60.00	No. 174 dt. 24/12/2021
227.	Katni	Katni (Murwara)	360.00	No. 174 dt. 24/12/2021
228.	Katni	Kymore	210.00	No. 174 dt. 24/12/2021
229.	Katni	Vijay raghavgarh	90.00	No. 174 dt. 24/12/2021
230.	Rewa	Chakghat	102.00	No. 174 dt. 24/12/2021
231.	Rewa	Baikunthpur	12.00	No. 174 dt. 24/12/2021

NGT/न्यायालयीन प्रकरण

क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
स्कीम नं0 5,प्लाट नं.455 / 456, विजयनगर, जबलपुर–482002
Phone & Fex-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com

क्रमांक /921/ /प्रनिबो/क्षे.का./2023 जबलपुर दिनांक 17/8/23

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, लखनादौन
जिला सिवनी (म0प्र0.)

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण कमांक 606/2018 में जारी आदेश दिनांक 24/12/2021 के अनुसार अधिरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा कराये जाने बाबत्।

संदर्भ :– बोर्ड मुख्यालय भोपाल का पत्र कमांक 2043 दिनांक 11/08/2023

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार लेख है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण कमांक 606/2018 में जारी आदेश दिनांक 24/12/2021 के अनुसार निर्देशों के परिपालन में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने हेतु लिखा गया है। इस संबंध में बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त पत्र कमाक 2043 दिनांक 11/08/2023 की प्रति संलग्न है। आपके द्वारा वर्तमान तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि जमा नही की गई है, जिससे माननीय अधिकरण के आदेश का पालन नही किया जा सका है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय द्वारा नगर परिषद लखनादौन जिला सिवनी की निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूति की राशि 36 लाख जिसे 15 दिवस के भीतर जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना की दशा में बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, 16 एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम् 2010 की धारा 26 सहपठित धारा 30 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज किये जावेंगें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(आलोक कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0क्रमांक/ 922 /प्रनिबो/क्षे.का./2023 जबलपुर दिनांक 17/8/23

प्रतिलिपि :–

कलेक्ट्र, कार्यालय कलेक्टर सिवनी जिला सिवनी (म0प्र0.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9C

(आलोक कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी

D/RO/LTR/MAURYA